सतर्कता संदेश
Satarkta Sandesh

अक्टूबर /October, 2023
अंक / Issue No. 25

'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'

Saluting the
Iron Man and the
Pioneer of National Integration

SARDAR VALLABHBHAI PATEL

on his birth anniversary.

31st Oct, 1875 - 15th Dec, 1950

"सतर्कता जागरूकता सप्ताह"

सरदार वल्लभभाई पटेल

के जन्मदिवस के अवसर पर
मनाया जाता है।

पूर्व मध्य रेल

East Central Railway

सत्यमेव जयते

सतर्कता संदेश

Satarkta Sandesh

तरूण प्रकाश
अपर महाप्रबंधक
Tarun Prakash
Additional General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
Hajipur, Vaishali (Bihar), Pin-844101
Phone : 06224-272137 (O)
E-mail : agm@ecr.railnet.gov.in

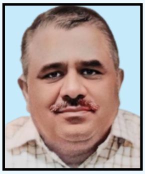

संदेश

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन 30 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 5 नवंबर, 2023 तक मनाये जाने वाली सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर **'सतर्कता संदेश'** का 25वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है। इस वर्ष ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' का विषय है **'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'** । यह वर्तमान समय में देश की आवश्यकता को सही ढंग से दर्शाता है।

किसी भी क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्य में प्रमुख बाधाओं में से एक है। भ्रष्टाचार मन का अंतहीन लालच है। इसका कोई अंत नहीं है। हम सभी अपने आप में सतर्कता अधिकारी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्य पूरी निष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ निष्पादित हों। यह समझना होगा कि भ्रष्ट आचरण न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि रेल तंत्र को राजस्व की हानि भी पहुँचाते हैं। इसलिए, हम सभी रेलकर्मियों को उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने की आवश्यकता है।

मुझे खुशी है कि **'सतर्कता संदेश'** का यह ई–बुलेटिन पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस पुस्तिका के केस अध्ययनों, लेखों, प्रणाली सुधार पत्रों और अन्य विषयों के माध्यम से बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इससे उनकी क्षमता और आत्मविश्वास का स्तर बढ़ेगा जिससे अंततः संगठन को ही लाभ होगा।

(तरूण प्रकाश)

तरूण प्रकाश
अपर महाप्रबंधक
Tarun Prakash
Additional General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
Hajipur, Vaishali (Bihar), Pin-844101
Phone : 06224-272137 (O)
E-mail : agm@ecr.railnet.gov.in

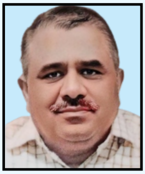

MESSAGE

It gives me great pleasure to know that Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out 25th issue of **"Satarkta Sandesh"** on the occasion of "Vigilance Awareness Week" starting from 30th October to 5th November, 2023. The theme of Vigilance Awareness Week during the current year is **"Say no to corruption; commit to the Nation".** This rightly reflects the need of the nation at this stage.

Corrupt practices, in any area, are one of the major hindrances in our goal to make India self-reliant and a developed nation. Corruption is an endless greed of mind. There is no end to it. We all are vigilance officials in ourselves. We have to ensure that all works are executed with complete integrity, objectivity, honesty and transparency. It has to be realized that corrupt practices not only damages our economy but also causes loss of revenue to Railway system. Therefore, we all Railway personnel are required to maintain high level of integrity and honesty.

I am happy that e-bulletin of this **"Satarkta Sandesh"** is also being made available on the website of East Central Railway. I anticipate mass of employees will get educated through case studies, articles, system improvement letters and other matters of this booklet. This will raise their level of competence and confidence which will benefit the organization in the long run.

(Tarun Prakash)

शोभना बंदोपाध्याय
प्रमुख कार्यपालक निदेशक (सतर्कता)
एवं
मुख्य सतर्कता अधिकारी

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN,
RAISINA ROAD, NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल, 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2023' के दौरान सतर्कता बुलेटिन, **'सतर्कता संदेश'** का 25वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें' की थीम पर मनाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन और कार्यालय से भ्रष्टाचार को खत्म करें। ईमानदार और पारदर्शी कार्यप्रणाली ही हमारे देश को विकासशील देश से विकसित देश में बदल सकती है।

यह बुलेटिन, **'सतर्कता संदेश'** गंभीर मामलों और गलत कार्यों की स्थितियों का सारांश प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आम तौर पर रेलवे अधिकारियों को यह शिक्षा देता है कि उन्हें समान परिस्थितियों में कैसे कार्य करना चाहिए ताकि वे कोई गलती न करें। बुलेटिन का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच नियमों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन करते हुए पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण, ईमानदार, निःस्वार्थ और सतर्क तरीके से प्रदर्शन करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

मैं इस **'सतर्कता संदेश'** को प्रकाशित करने में उनके ईमानदार प्रयासों के लिए पूर्व मध्य रेल के सतर्कता संगठन को बधाई देती हूँ। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ कि वे इस बुलेटिन का एक डिजिटल संस्करण भी लाया जा रहा है जो रेलवे कर्मचारियों के लिए कहीं भी, कभी भी बस एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध होगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि पूर्व मध्य रेल के रेलवे अधिकारी बुलेटिन को गंभीरता से पढ़ेंगे तो उनकी निर्णय लेने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।

(शोभना बंदोपाध्याय)

Shobhana Bandopadhyaya
Principal Executive Director (Vigilance)
&
Chief Vigilance Officer

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय,
रेलवे बोर्ड, रेल भवन,
रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN,
RAISINA ROAD, NEW DELHI-110001

MESSAGE

I am pleased to know that Vigilance Organization, East Central Railway, is bringing out 25th issue of Vigilance Bulletin, **"Satarkta Sandesh"**, during 'Vigilance Awareness Week- 2023.This year, the vigilance awareness week is being celebrated on the theme of "Say no to corruption; commit to the Nation". This is high time that we stamp out corruption from our lives and offices. Honest and transparent working can only transform our nation from a developing nation to a developed nation.

This bulletin, **"Satarkta Sandesh"** plays a great role by providing gist of plethora of critical cases and situations of wrong doings. It educates Railway Officials in general as to how they should act in similar situations so that they do not commit any mistake. The purpose of the bulletin is to create awareness amongst the employees about the need to perform in a transparent, objective, honest, selfless and vigilant manner following rules and procedures correctly.

I congratulate the Vigilance Organisation of East Central Railway for their sincere efforts in bringing out this **"Satarkta Sandesh"**. I am really very happy that they are also bringing out a digital version of this bulletin which will be just a click away anytime anywhere for Railway Employees. I have firm belief that the decision-making capability of Railway Officials of East Central Railway will enhance many folds if they go through the bulletin in true earnest.

(Shobhana Bandopadhyaya)

सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in

प्राक्कथन

भ्रष्ट आचरण जनता के विश्वास को तार–तार करता है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर संगठन की छवि को धूमिल करता है। इसका प्रभाव इतना बुरा है कि ईमानदारी के अभाव में संगठन ऐन वक्त पर दम तोड़ देती है। अनैतिक और भ्रष्ट तरीका अपनाने वाले राष्ट्रों को भी यही नियति होती है। मुझे हर्ष है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह– 2023 का थीम **'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'** केवल सभी सरकारी कर्मियों के लिए ही नहीं, अपितु देश के सभी नागरिकों के लिए भी एक आह्वान है।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक स्वच्छ, पारदर्शी तथा विश्वासपूर्ण कार्य–प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन, **'सतर्कता संदेश'** का 25वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है। **'सतर्कता संदेश'** में समाहित लेख, केस अध्ययन तथा प्रणाली सुधार पत्र पूर्व मध्य रेल में कार्यरत विभिन्न कर्मियों द्वारा प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। अत: हम आशा करते हैं कि यह रेल कर्मियों के दैनंदिन कार्यों में अति उपयोगी व मूल्यवान साबित होगा। **'सतर्कता संदेश'** के विषय–वस्तु पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होने से ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी, जिससे अंतत: संस्था का ही भला होगा।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पूर्व मध्य रेल के सतर्कता संगठन द्वारा **'सतर्कता संदेश'** के इस 25वें अंक का डिजिटल संस्करण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो महज एक क्लिक करने पर ही रेल कर्मियों के लिए किसी भी समय कहीं भी उपलब्ध रहेगा। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारा ईमानदार प्रयास पूर्व मध्य रेल के कर्मियों की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा।

(सुजीत कुमार मिश्रा)

सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager

सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in

FOREWORD

Corrupt practices damage the trust of public and tarnish the image of organization both on national and international platforms. The impact is so harsh that an organization without integrity collapses in due course. The same is the fate of nations adopting unscrupulous and dishonest means. I am glad that the theme for VAW 2023 i.e **"Say no to corruption; commit to the Nation"** is a call not only for all the government officials but also for all the citizens of the country.

On this august occasion, Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out the 25th issue of **"Satarkta Sandesh"** with an objective to ensure clean, transparent and confident working. The articles, case studies and system improvements letters in the **"Satarkta Sandesh"** are based on the experiences gained by different officials working in East Central Railway. Thus, we hope it will be very useful and handy for Railway Officials in their day to day working. Our objective would be achieved if the contents of the **"Satarkta Sandesh"** are useful to the readers, which in turn will benefit the organization. We welcome constructive suggestions from the readers.

I am very pleased to inform that we are bringing out a digital version of **"Satarkta Sandesh"** also which will be just a click away anytime anywhere for Railway Employees. I have firm belief our sincere effort will be very helpful in enhancing the decision-making capability of Railway Officials of East Central Railway.

(Sujit Kumar Mishra)

सतर्कता जागरूकता अभियान
''भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें''
रिश्वत लेना और देना अपराध है।
ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें।
नौकरी पाने की सही प्रक्रिया को अपनाएं।
धोखे व परेशानी से दूर रहें।
नौकरी पाने के लिए
दलालों
के झांसे में नहीं आयें।
रेल मदद
139
अथवा
महाप्रबंधक (सतर्कता)
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर, पिन-844101 को सूचित करें!
सतर्कता संगठन
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर- 844101

विषय सूची / INDEX

क्र.सं. पृष्ठ सं.

1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर प्रमुख कार्यपालक निदेशक, सतर्कता/रेलवे बोर्ड का संदेश 02

2. भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें 04
✍ सुजीत कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे

3. भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें 08
✍ छवि झा, प्रधान वित्त सलाहकार/पूमरे

4. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई : देश की सेवा 12
✍ विवेक भूषण सूद, मंडल रेल प्रबंधक/पूमरे/सोनपुर

5. त्याग की शक्ति 14
✍ रमन तिवारी, मुसतानि/चिकित्सा/पूमरे

6. साईबर क्राइम से कैसे बचें 17
✍ शम्भू कुमार, पी0एस0–II, भंडार/पूमरे/हाजीपुर

7. क्या करें और क्या न करें (Do's & Don'ts) 18
✍ आशुतोष झा, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)/पूमरे

8. क्या करें और क्या न करें (Do's & Don'ts) 30
✍ उदयाचल कुमार, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)/पूमरे

9. केस अध्ययन (Case Study)
यातायात (Traffic) 34
लेखा एवं कार्मिक (Accounts & Personnel) 44
अभियंत्रण (Engineering) 48
भंडार एवं चिकित्सा (Stores & Medical) 58
संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक (S&T, Elect. & Mech.) 62

10. प्रणाली सुधार पत्र (System Improvement Letters) 68

11. कविता (भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे) 102
✍ महादेव कुमार मंडल, पूर्व मुसतानि/भंडार/पूमरे

12. सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा 104

*

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर प्रमुख कार्यपालक निदेशक, सतर्कता/रेलवे बोर्ड का संदेश

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चुनी गयी थीम **"भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"** सत्य प्रतीत होता है क्योंकि भ्रष्टाचार एक सार्वजनिक बुराई के रूप में राष्ट्र की आर्थिक और तकनीकी समृद्धि के क्षेत्र में नुकसानदेह साबित हो रही है।

मैं यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कुछ निवारक सतर्कता गतिविधियों को फोकस क्षेत्र के रूप में लेने पर भी जोर दिया है साथ ही 16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 03 महीने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। तदनुसार सभी इकाइयों को संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि रेलवे कर्मचारियों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ विभिन्न निवारक उपाय लागू करने से संगठन में भ्रष्टाचार खत्म/कम करना संभव है।

मुझे यह भी महसूस होता है कि अगर सभी लोग एकमत होकर काम करें, रिश्वत न लें या न देने की प्रतिज्ञा करें और इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाएं तो ऐसी प्रबल संभावना है कि भारतीय रेल में भ्रष्टाचार से छुटकारा मिल जाए। इसलिए मैं इस अभियान से जुड़े सभी लोगों को बधाई देती हूँ और एक सफल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की कामना करती हूँ।

*

सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है,
फिर भी सत्य हर एक सत्य ही होगा।

– स्वामी विवेकानन्द

Message from PED/Vigilance/RB on Vigilance Awareness Week 2023

Vigilance Awareness Week is celebrated every year to highlight the importance of morality and uprightness in public life. This year, Vigilance Awareness Week is being celebrated from 30th October to 05th November, 2023. The theme chosen by Central Vigilance Commission this year i.e **"Say no to corruption; commit to the Nation"** appears to be true as corruption being a public evil is proving harmful to the health of the economic and technological richness of the nation.

I would also like to mention here that CVC has also emphasized and directed for taking certain preventive vigilance activities as a focus area and asked to initiate 03 month's campaign starting from 16th August 2023 to 15 November, 2023. Accordingly all the units must be doing needful to achieve the systematic objectives. I am of firm belief that besides taking various preventive measures along with creating awareness among Railway employees and citizens, it is possible to eliminate/reduce corruption in the organization.

I also feel that Indian Railways has a strong prospective of getting rid of corruption if everyone works in unanimity, pledges not to take or give bribe and also initiate some stern measures for tooth and nail eradication of this menace. I therefore extend my greetings to all those associated in this movement and convey my wishes for a successful Vigilance Awareness Week.

*

नेमप्लेट और बैज के साथ
हमेशा निर्धारित वर्दी पहनें।

लेख

भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें

✍ **सुजीत कुमार मिश्रा**
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे

15 अगस्त, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार की बुराई से लड़ने का शंखनाद किया। उनके भाषण से उद्धृत कुछ अंश –

''भ्रष्टाचार हमारे देश की सभी समस्याओं की जड़ में है। दीमक की तरह इसने देश की सभी व्यवस्थाओं और सारे सामर्थ्य को पूरी तरह से नोंच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर क्षेत्र में समय की मांग है।''

वास्तव में भ्रष्टाचार राष्ट्र के प्राण–तत्वों को उसी तरह खा जाता है जिस तरह दीमक किसी पेड़ के प्राण–तत्वों को नष्ट कर देता है। इस भ्रष्टाचार का मुख्य कारण कुछ पदाधिकारियों, क्लर्कों, पुलिसकर्मियों आदि का अतिरिक्त पैसा कमाने का लालच है जिसके वे कानूनी रूप से हकदार नहीं हैं। विडम्बना यह है कि भ्रष्टाचार किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता। यदि कोई पुलिसकर्मी रजिस्ट्रार कार्यालय से विवाह प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए अपने गृहनगर जाता है तो उसे रजिस्ट्रार को रिश्वत देनी पड़ती है। इसी प्रकार, यदि रजिस्ट्रार अपने पासपोर्ट के लिए अपने गृहनगर के पुलिस स्टेशन से पुलिस सत्यापन कराना चाहता है तो उसे वहाँ रिश्वत देनी पड़ती है। इस तरह भ्रष्टाचार का दुष्चक्र किसी को नहीं छोड़ता तथा सभी को प्रताड़ित करता है।

सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के कई महत्त्वपूर्ण प्रयास किये हैं। लाभार्थियों के बैंक खातें में सीधे लाभ अंतरण होने से सब्सिडी वितरण के क्षेत्र में हो रहा भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। सभी भ्रष्टाचार ग्रस्त क्षेत्रों को सीसीटीभी निगरानी के अंतर्गत लाया जा रहा है। बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किया गया है। कई क्षेत्रों जैसे– अनुबंध देने की प्रक्रिया भुगतान प्रणाली, मोनेटरिंग अधिकारिक पत्राचार आदि में सूचना प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल किया गया है।

रेलवे में कई सॉफ्टवेयर सॉल्युशन जैसे– GeM, HRMS, RESS, HMIS, IREPS, IRPSM, IRWCMS, CMS, TMS, UDM, FOIS, IRVINS, e-office, i-pass आदि ने कार्य निष्पादन को त्वरित तथा अधिक पारदर्शी बना दिया है। इन सॉफ्टवेयर टूल्स के कारण कार्यान्वयन की शिकायतों में भारी कमी आई है एवं संबंधित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार काफी हद तक समाप्त हुए हैं।

ARTICLE

SAY NO TO CORRUPTION AND COMMIT TO THE NATION

✍ **Sujit Kumar Mishra**
Sr. Dy. General Manager/ECR

On 15th August,2023, Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi gave a clarion call from the ramparts of the Red Fort to fight the evil of corruption prevalent in India. To quote from his speech,

"Corruption is at the root of all the problems of our country. Like a termite, it has completely eaten away all the systems of the country, and all the capabilities of the country. Freedom from corruption, fight against corruption in every area and in every sector is the need of the hour."

Indeed, corruption eats the vitals of a nation similarly as the termites eats the vitals of a tree. The root cause of this corruption is greed of some officer, clerk, policeman etc. to earn that extra money which they do not deserve legally. The irony is that corruption does not leave anybody untouched. A policeman will have to pay a bribe to the registrar if he goes to his hometown to get a marriage certificate from registrar office. Similarly, the registrar will have to pay a bribe if he wants a police verification done for his passport from his home town police station. Thus, the vicious circle of corruption does not leave anybody and tortures one and all.

Government has made tremendous efforts to fight corruption. Direct benefit transfer to the bank account of beneficiaries has ended corruption in the area of disbursal of subsidies. All corruption prone areas are being covered under CCTV surveillance. Bio-metric attendance system has been implemented. Information technology has been introduced in many areas like awarding contract, payment system, monitoring, official correspondences etc.

Many software solutions in railways like GeM, HRMS, RESS, HMIS, IREPS, IMMS, IRPSM, IRWCMS, CMS, TMS, UDM, FOIS, IRVINS, e-office, i-Pass etc have made disposal quicker and more transparent. The complaints with the implementation of these software tools have gone down tremendously. This has eliminated corruption in respective areas to a large extant.

बहरहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में राष्ट्र के सभी लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस मुहिम को विद्यालयों से शुरू करनी होगी जहाँ छोटे बच्चों को ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के बुनियादी गुणों को सिखाया जाता है। हमें अपने नौनिहालों को सादा जीवन और उच्च विचार जैसे आदर्शों के फायदे बताने होंगे। इसी तरह, पारिवारिक स्तर पर हमें ईमानदारी से जीवन यापन करने का संकल्प लेना होगा। कार्यालयों में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्य समयबद्ध तरीके से निष्पादित हों ताकि किसी को परेशानी न झेलनी पड़े। सदियों पुरानी कहावत, 'ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है' को प्रत्येक व्यक्ति के मानस में समाहित करना होगा।

एक राष्ट्र के रूप में हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रीय पहचान पहाड़ों, झीलों और नदियों या प्रखंडों, जिलों तथा राज्यों से नहीं बनती है। किसी राष्ट्र की पहचान उसकी जनमानस के चरित्र की सुदृढ़ता से प्रतिबिंबित होती है। 'सत्यनिष्ठ' शब्द का संबंध एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपने जीवन में नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। वह अच्छे नैतिक चरित्र वाला तथा पूर्णरूप से ईमानदार होता है। उसका निर्णय निःस्वार्थ उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या संगठन से प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। उसे बिना किसी भय, पक्षपात या दबाव के संगठन तथा राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए।

राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का अर्थ है अपने कार्य को कुशलतापूर्वक तथा ईमानदारी से निर्वहन करना। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहाँ हम सभी देशभक्ति की भावना से अपने कार्यक्षेत्रों में ईमानदारी से काम करने को समर्पित हों। जहाँ किसी प्रकार की नकली दवा, दूध या खाद्य सामग्री न मिले। अस्पताल में कुछ लोगों के भ्रष्टाचार के कारण किसी बच्चे को जान न गँवाना पड़े। कोई भी सड़क या पुल समय से पहले न टूटे। किसी को भी अपने नियमित कार्यों जैसे–पासपोर्ट, जाति प्रमाण–पत्र, आय–प्रमाण पत्र आदि को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान न करना पड़े। वास्तव में यह एक रामराज्य का सपना है। लेकिन आइए हम सब मिलकर इस सपने को साकार करने का प्रयास करें।

अतः देशभक्ति केवल संकट के समय ही दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे हमें अपने दैनिक जीवन में समाहित करना होगा। यह भी सत्य है कि यदि भारत की 140 करोड़ की पूरी आबादी ईमानदारी से काम करने को संकल्पित हो जाए तो भारत को पहले की तरह '**सोने की चिड़िया**' बनने से कोई नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार का विरोध करके ही हम अपने महान राष्ट्र की सच्चे अर्थ में निःस्वार्थ सेवा कर पाएंगे।

*

However, in this fight against corruption, the entire population of the nation will have to come together. The fight has to begin from schools where small children are to be taught the basic virtues of honesty and integrity. We will have to teach our children the benefits of simple living and high thinking. Similarly, at our family level we have to take a pledge to live through honest means. At office, we have to ensure that all works should be executed in a time bound manner so that nobody is harassed. The age old maxim, "Honesty is the best policy" has to be ingrained in the psyche of each and every individual.

We as a nation will have to understand that national identity is not made of mountains, lakes and rivers or blocks, districts and states. A nation's identity is reflected by the soundness of the character of its population. The word "Integrity" means a man who adheres to ethical principles of life. He is of sound moral character and honest to the core. His decision should be selfless, objective and transparent and must not be influenced by any person or organization. He should act as per laid down rules and procedures in the best interest of organization and nation without any fear or favor or pressure.

Commitment to the nation means doing one's job efficiently and honestly. Just imagine a situation where all of us patriotically dedicate to working honestly in our field of activity. No spurious medicine, milk or food items will be found in the country. No child will have to sacrifice his life in the hospital because of the corruption of a few in the hospital. No bridge or road will collapse pre-maturely. No one will have to pay an extra sum for getting his regular works like obtaining a passport, caste certificate, income certificate etc. In fact, it is a utopian dream but let us strive to make this dream true.

Thus, patriotism is not to be shown only in times of crisis but it has to be embedded in our day today life. It is true that if the entire 140 crore of Indian population decides to work honestly then nobody can stop India from becoming "***A Golden Bird***" of yester years. By saying no to corruption, we will truly commit to the selfless service of our great nation.

*

लेख

भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें

✍ छवि झा
प्रधान वित्त सलाहकार/पूमरे

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, भारत सरकार की उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। सतर्कता सुशासन का अभिन्न साधन है। यह प्रभावशाली प्रबंधन रणनीति का एक हिस्सा है। सतर्कता प्रशासन एक ऐसा तंत्र है जो एक निष्पक्ष, पारदर्शी तथा न्यायसंगत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है। प्रशासन में इन विशेषताओं का अभाव लालच और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अवसर का निर्माण करता है। ये अनभिप्रेत लाभ प्रदान करने अथवा न्यायसंगत लाभ से इनकार करने का कारण बनते हैं। इसलिए, किसी भी संगठन में एक सुस्थापित सतर्कता प्रणाली के सुचारू कामकाज में बाधा के रूप में नहीं बल्कि भ्रष्ट आचरण की रोकथाम में मदद करने वाला और गलत इरादे से कदाचार में लिप्त लोगों के लिए एक निवारक तंत्र का निर्माण करने वाला समझा जाता है।

वर्तमान सरकारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति है। सरकार दंडात्मक सतर्कता के बजाय निवारक सतर्कता को प्राथमिकता दे रही है। हमारा देश उन्नति के अविरत मार्ग पर है तथा भ्रष्टाचार एक दीमक की भाँति है जो हमारे विकास को बाधित कर सकता है। भ्रष्टाचार से न केवल सरकारी राजस्व का छीजन होता है बल्कि वस्तुओं तथा सेवा की गुणवत्ता और मुहैया कराने में भी समझौता करना पड़ता है।

इसीलिए प्रभावी प्रबंधन का प्रयास ऐसी प्रणालियों एवं कार्यविधि का विकास करना होता है, जो निर्णय लेने में किसी भी तरह की मनमानी की अनुमति नहीं दे तथा ऐसी कार्यविधि का निर्माण करे जो ऐसे लूपहोल और कमियों को दूर करते हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ऐसी ही प्रणालियों से सुव्यवस्थित करने पर जोर देता रहा है। भारतीय रेल सरकारी संस्थानों में सबसे पुरानी और बड़े संगठनों में से एक है। इसमें गतिविधियों का एक विशाल क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार की संभावना मौजूद है। अतः ऐसी नैतिकता विकसित करने

ARTICLE

Say no to corruption; commit to the Nation

✍ **Chhavi Jha**
PFA/ECR

The battle against corruption is at the forefront of focus areas for the Government. Vigilance is an integral tool of good governance. It is a part of efficient management strategies. Vigilance administration is a mechanism which helps to develop systems which are fair, transparent and just. Absence of these attributes in administration creates opportunities which encourage greed and corruption. They provide unintended benefits or denial of just benefits. Therefore, a well established Vigilance system in any organization is not perceived as a hindrance to smooth functioning but as an aid to prevent corrupt practices and create a deterrent for those who indulge in malpractices with a malafide intent.

In the present Government set up, there is a policy for zero tolerance towards corruption. The Govt is according priority to preventive vigilance rather than punitive vigilance. The country is on a steady path of progress and corruption is a termite which can hamper our progress. Corruption not only leads to leakages of government revenue but also compromises the quality and deliverance of goods and services.

Therefore, the endeavour of an effective management is to develop such systems and practices which do not allow any arbitrariness in decision making and build practices which fill such loop holes and gaps. The Central Vigilance Commission has been emphasizing putting in place such systems and practices. Indian Railways is one of the oldest and biggest Government organizations. It has vast areas of activities where the possibility of corruption exists. Therefore, there is a need for cultivating ethics which

की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रकार की अवसर को हतोत्साहित करे। वित्त और लेखा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जो ओपेन लाईन और निर्माण संगठनों दोनों के सुचारू कामकाज में सहायता करता है। भ्रष्टाचार निवारण तथा निष्पक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार के सभी संदिग्ध क्षेत्रों और गतिविधियों की निगरानी की जानी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए जो शीर्ष प्रबंधन का ध्यान तत्काल इनकी ओर आकर्षित कर सके ताकि किसी प्रकार के दुरूपयोग को रोका जा सके। भ्रष्टाचार से मुकाबला करने का बहुत ही प्रभावी साधन है तकनीक का लाभ उठाना। वैसी सभी गतिविधियॉ जिनका प्रबंधन आई.टी. के माध्यम से किया जा सकता है उन सभी गतिविधियों को आई.टी. प्लेटफार्म पर लाया जाना चाहिए।

किसी भी प्रगतिशील समाज में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारा देश भी शासन में नैतिकता तथा भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर जोर देता है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी शासन का केन्द्र बिन्दु है।

हम सभी को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए तथा सतर्कता को जीवन जीने का माध्यम बनाना चाहिए।

*

''पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं।''

– सर्वपल्ली राधा कृष्णन

discourage any opportunity that allows corrupt practices. The Finance and Accounts Department is a pivotal department that assists in the smooth working of both the open line and construction organizations. It's role in preventing corruption and ensuring fairness and transparency is absolutely vital.

All areas and activities which are susceptible for corruption need to be monitored and programs should be developed which bring those to the immediate attention of the higher management to plug any misuse. One very effective tool to combat corruption is leveraging of technology. All activities which are managed through use of IT should be brought on an IT platform.

In any progressive society corruption cannot be tolerated. Our county also emphasizes ethics in governance and eradication of corruption. Probity in public life is the centre point of governance.

We should all make efforts in this direction and make vigilance a way of life.

*

"The Highest Education is that which does not merely give us informaton but makes our life in harmony with all existence."

– Rabindra Nath Tagore

लेख

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई : देश की सेवा

✍ **विवेक भूषण सूद**
मंडल रेल प्रबंधक, सोनपुर

भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है जिसके बारे में देश में लगातार चर्चा चलती रहती है और इस समस्या से निपटने के लिए तमाम कानूनी प्रावधान किए गए हैं। विजिलेन्स, पुलिस, ई डी, ई ओ डब्लू आदि संगठन इन्हें लागू करने में लगे हुए हैं। हाल के वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं और हर जिम्मेदार नागरिक भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहता है जिसके लिए सरकारें भी सतत् प्रयास कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा जीईएम के प्रयोग से आज न केवल कार्य सुगमता और तेजी से हो रहे हैं, बल्कि इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आई है।

परंतु भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत और गहरी हैं। अभी भी छोटे–बड़े स्तर पर, मौका मिलते ही, भ्रष्ट आचरण में बहुत परहेज लोगों में नहीं है। बहुत बार समझ में नहीं आता है कि लोग दिल से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, या उनका गुस्सा तभी दिखता है जब वे स्वयं भ्रष्टाचार से परेशान होते हैं, या जब उन्हें भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलता है।

वैचारिक रूप से स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है। यह देश को अंदर से खोखला करता है, देश के संसाधन गलत प्राथमिकताओं पर इस्तेमाल होते हैं और पैसे वाले लोगों की ताकत बढ़ती है जबकि गरीब भ्रष्टाचार से उत्पन्न परेशानियों को सबसे ज्यादा झेलते हैं। भ्रष्टाचार से उत्पन्न विसंगतियाँ अंत में देश को पीछे ले जाती हैं जो सबके लिए नुकसानदेह है। भ्रष्टाचार से रेल संरक्षा में भी बहुत सी चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों के पीछे इस प्रकार की मान्यता है कि कुछ प्रकार के भ्रष्टाचार "उतना खराब" नहीं है और मानते हैं कि मेडिकल, पुलिस तथा सार्वजनिक सेवा जैसे आम आदमी को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में भ्रष्टाचार "खराब" है। साथ ही, एक और मान्यता है "हमें

व्यावहारिक होना चाहिए" भी भ्रष्टाचार को पोषित रखता है। इसी सोच के अंतर्गत बहुत से लोग दूसरों को देखते हैं कि "सब बंद करें तो मैं भी बंद कर दूँ"। परंतु यह सभी मान्यताएँ सही नहीं हैं और स्वयं–पोषित हैं।

गहराई से सोचें तो स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार केवल भ्रष्टाचार होता है वह "अच्छा" कभी नहीं हो सकता है। कोई भी इतना काबिल नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार के साथ सही निर्णय ले पाए। और हर एक गलत निर्णय देश को पीछे ले जाता है, या उसके हमारे रहन–सहन पर असर को देख कर अन्य लोगों को भी येन केन प्रकारेण उसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है।

देश की सेवा करने का सबसे आसान तरीका है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर बिना–शर्त भ्रष्टाचार से परहेज रखने की कसम खाएँ। हर रेल कर्मी से मेरा यह आह्वान है कि भ्रष्टाचार–मुक्त रहने की कसम खाएं, और अपने आचरण से एक उदाहरण पेश करें। इस मुहिम से बाकी लोग स्वतः सही काम करने के लिए प्रेरित होंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त रहने की ओर अग्रसर होंगे। भौतिक विकास से अधिक आधुनिक और विकसित भारत की नींव हमारे व्यक्तिगत स्तर पर किए गए ये निर्णय ही डालेंगे।

*

चयन में, प्रश्न पत्रों की

छपाई और वितरण में

पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें।

कथा

त्याग की शक्ति

✍ **रमन तिवारी,** मुसतानि/चिकित्सा/पूमरे

त्याग न केवल मानव–जीवन को महान बनाता है, बल्कि मृत्यु के उपरांत भी उसे जीवंत रखता है। इसी संदर्भ में एक प्रसंग आता है महाभारत काल से, जिसमें कृष्ण सुदामा से बार–बार कहते रहे कि कुछ मांगो मित्र, पर सुदामा ने बड़ी शालीनता से उनके हर अनुरोध को ठुकरा दिया। तीन मुट्ठी चावल लेकर गए दरिद्र सुदामा जब द्वारिकाधीश से बिना कुछ लिए लौट गए तो रुक्मिणी ने कहा, 'प्रभु! ये तो सबकुछ ठुकरा कर चले गए। अब क्या होगा?'

श्रीकृष्ण बोले, 'जानती हो देवी! व्यक्ति यदि अपने अंदर के लोभ को मार दे तो वह ईश्वर से भी पराजित नहीं होता। सुदामा को इस संसार में किसी चीज़ का लोभ ही नहीं है, वह तो केवल अपनी पत्नी के कहने पर आ गया था। उसे न अपने मित्र कृष्ण से कुछ चाहिए, न भगवान कृष्ण से। मैं जानता था कि यह मुझसे कुछ नहीं लेगा।'

रुक्मिणी ने कहा –'पर प्रभु! सुदामा जी के परिवार की दशा तो देख रहे हैं न आप? ये कुछ मांगे न मांगे, पर उनके दुःख को दूर करना आपका कर्तव्य है।'

श्रीकृष्ण मुस्कुराए। कहा– 'तुम नहीं जानती इस सुदामा को! सारा संसार जिस कृष्ण को भगवान कहता है, विडम्बना देखो कि वह चाह कर भी इस विपन्न ब्राह्मण को कुछ दे नहीं पायेगा। इसके घर पहुँचने से पहले मैं इसकी झोपड़ी को महल बना कर उसे मोतियों से भर दूंगा, परन्तु यह उसे भी निष्ठुरता पूर्वक ठुकरा देगा। यह मेरे द्वारा दिये गए धन को तिनके से भी नहीं छुएगा। तभी तो इस विशाल संसार में कृष्ण को अपना मित्र बता सकने का अधिकार समय ने केवल इसे ही दिया है। इस समय संसार में केवल हम हीं दो लोग हैं जिन्होंने किसी से कुछ नहीं लिया। कुछ भी नहीं।

यह कैसी बात हुई प्रभु? क्या सुदामा जी अपने परिवार की दरिद्रता दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे?

श्रीकृष्ण खिलखिला उठे। बोले, 'इस कृष्ण को संसार में सुदामा से अधिक कोई नहीं जानता, देवी। वह जानता है कि द्वारिका पहुँच जाने से ही उसका कार्य सम्पन्न हो गया है, मैं अब उसके परिवार का हर दुःख दूर कर दूंगा। बस वह अपने मुख से कुछ नहीं मांगेगा, न स्वयं मेरा सहयोग स्वीकार करेगा।

रुक्मिणी श्रीकृष्ण को आश्चर्य से देखती रह गईं। कृष्ण बोले, 'ऐसे भक्तों की भक्ति करने का मन होता है जो अपने आराध्य से भी कुछ न लेना चाहते हों। अपनी छोटी–छोटी इच्छाओं के लिए ईश्वर को पुकारने वाले मनुष्य न धर्म के सगे होते हैं न सभ्यता के। **मानव–धर्म सुदामा जैसे निःस्वार्थ तपस्वियों के त्याग की शक्ति से जीवन पाता है। यह तो इसका प्रेम था जो मुझ तक पैदल चला आया, नहीं तो सुदामा जैसे त्यागी मनुष्य जब पुकार दें तो ईश्वर स्वयं उनकी चौकठ तक पहुँच जाएंगे।'**

रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को प्रणाम कर के कहा, 'धन्य हैं प्रभु आप!

जैसे आप हैं, वैसे ही आपके मित्र...'

कहानी का सार यह है कि **त्याग–बल एक ऐसा बल है जो किसी असहाय को भी दुनिया की नज़रों में बड़ा बना देता है और लालच एक ऐसी चीज़ है जो ताकतवर से ताकतवर इंसान को भी दुनिया की नजरों में छोटा बना देने का माद्दा रखता है।** अगर मनुष्य अपने जीवन को महान व उदाहरणीय बनाना चाहता है, तो उसे लोभ–लालच से दूर रहना चाहिए और त्याग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वो त्याग हीं था जिसने राम को श्रीराम बना दिया, वह त्याग हीं था जिसने दधीचि को आज हजारों वर्षों बाद भी जिंदा रखा है। त्याग की ही महिमा है जो अपने बड़े भाई का खड़ाऊं शिरोधार्य करने वाले भरत का नाम याद आते ही दिल करुणा से भर जाता है। भुजबल के मामले में कर्ण अपने कालखंड के वीरों में सर्वश्रेष्ठ था कि नहीं?, यह विवादित हो सकता है, परन्तु दानवीरता के मामले में वो अपने त्याग–बल के कारण उस कालखंड में निर्विवादित रूप से सर्वश्रेष्ठ दानवीर माना जाता है। पलभर में हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य को अपने भीषण प्रतिज्ञा के द्वारा त्याग देने वाले पितामह भीष्म आज भी हमारे सफल राजनेताओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं और जनमानस अपने हर नेता में उन्हीं की छवि तलाशती रहती है।

इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है परन्तु आज मनुष्य लालच में आकर अपने आपको तो कलंकित करता हीं है, साथ में अपने कुल–खानदान को भी कलंकित करता है और सब कुछ गवां कर जीते जी मृत समान हो जाता है। इंसान लालचवश चोरी, रिश्वतखोरी जैसे बुरे कर्मों को अंजाम दे कर तरह–तरह के भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करता है और वहीं वस्तुएं अंत में उस मनुष्य के दुःखों का कारण भी बनता है। विद्वानों ने कहा है – **मनुष्य को यदि संग्रहण करना ही हो तो उसे वस्तुओं की जगह दुआओं का संग्रहण करना चाहिए, जो पैसों से नहीं, बल्कि लोगों की सेवाओं से प्राप्त होता है।** मनुष्य को अपना बेशक़ीमती समय लालच जैसे कुचक्र में फंसकर व्यर्थ गंवाने से बचना चाहिए। सभी को अपने जीवन में त्याग की भावनाएं जगानी चाहिए, क्योंकि '**जीवन का सच्चा सुख वस्तुओं के संग्रह में नहीं अपितु उनके त्याग में है।**'

राष्ट्रकवि दिनकर जी ने भी लिखा है–

दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है,
एक रोज तो हमें स्वयं सब–कुछ देना पड़ता है।
बचते वही, समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं,
ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं।

*

त्याग

के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है,
एक सांस लेने के लिए भी,
एक सांस छोड़नी पड़ती है।

परामर्श

साईबर क्राइम से कैसे बचें

✍ **शम्भू कुमार**, पी0एस0–II, भंडार/पूमरे/हाजीपुर

साईबर क्राइम से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अवश्य करें–

1. अपने बैंक खाते में अपना मोबाईल नं. एवं ई–मेल आईडी जरूर दर्ज कराएँ।
2. अपने बैंक खाते, पैन नं0, आधार नं0, ड्राईविंग लाईसेंस, वोटर आई कार्ड, बिजली बिल, आयकर रिटर्न इत्यादि जहॉ पर भी जरूरत हो अपना मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी जरूर दर्ज कराएँ ।
3. उपरोक्त सभी सुविधाओं में सभी जगह एक ही पर्सनल नंबर का इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि आपके मोबाईल नं. पर अगर कोई अपरिचित नंबर से कॉल आता है तो कॉल को रिसीव नहीं करें और आप खुद उस नंबर पर कॉल करें इससे सच्चाई पता चल जाएगी क्योंकि अगर आपका मोबाईल हैकर के द्वारा हैक किया जाता है तो कॉल रिसीव करते ही उधर से कोई आवाज नहीं आएगी और इस बीच हैकर आपके खाते को खाली कर देगा।
4. अपने मोबाईल की सेटिंग में App permission में मैसेज को दिए गए permissions को चेक करें और जहॉ जरूरी नहीं हो उस ऐप से मैसेज की परमिशन को रिमूव कर दें इससे हैकर्स आपके मैसेज में प्राप्त ओटीपी को नहीं पढ़ पाएगा ।
5. जब जरूरत हो तभी इन्टरनेट और लोकेशन को ऑन रखें और इस्तेमाल के बाद ऑफ कर दें क्योंकि हैकर्स जब आपके मैसेज या फोन को हैक करता है तो उसे इन्टरनेट के जरिए ही आपके मोबाईल का access प्राप्त होता है।
6. किसी भी अनावश्यक Mobile App को download नहीं करें और download से पूर्व उसमें मांगे गए permission को जरूर पढ़े अगर कोई APP आपके Phone, SMS के access को मांगता है तो उस App को download करने से बचें। सिर्फ Phone Pe, BHIM, Google Pay जैसे payment gateway app को ही SMS की permission दें क्योंकि ये APP self Password protected होते हैं।
7. किसी भी अनावश्यक Khmj को nodm नहीं करें। संदेह होने पर original website को चेक करें और उसमें दिए गए नंबर पर कॉल करके पहले confirm करें।
8. अपना ई–मेल और मैसेज को प्रतिदिन चेक करते रहें। अपने ई–मेल के syncronization को अपने मोबाईल के सेटिंग्स में जाकर ON रखें इससे अपको जैसे ही कोई ई–मेल receive होगा आपके मोबाईल पर मैसेज आ जाएगा और नियमित अंतराल पर अपना OTP, Password इत्यादि बदलते रहें।
9. अनचाहे कॉल या वीडियो को ब्लॉक करें।

अतः सतर्क रहें सावधान रहें और किसी भी fraud से बचें रहे।

*

क्या करें और क्या न करें

कार्य अनुबंध

✍ **आशुतोष झा**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)/पूमरे

क्या करेंः–

- प्राक्कलन और निविदा अनुसूची को अंतिम रूप देने के पूर्व बाजार दर का सर्वेक्षण करें, निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा मूल्य सूची में दिए गए दर का ध्यान रखें तथा यथोचित एवं वास्तविक दर की विवेचना करें।
- रेलवे बोर्ड/मुख्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार एन आई टी और निविदा दस्तावेज पात्रता मानदंड और समतुल्य कार्य का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- आपात स्थितियों को छोड़कर, समुचित रेस्पांस को प्रोत्साहित करने हेतु निविदाओं को खोलने के लिए नियमानुकूल पर्याप्त एवं उचित समय दी जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित कर लें कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित निर्दिष्ट सक्षम स्तर के अधिकारियों की निविदा समिति का गठन वर्तमान आदेशों के अनुसार हुआ हो।
- निविदा में ईएमडी, एसडी, पीजी की शर्तें मौजूदा नियम के अनुसार होनी चाहिए।
- विलंबित/देर से आए हुए निविदाओं को वर्तमान नियमों के अनुसार निष्पादित करें।
- रिंग/कार्टल गठन की पहचान करने के लिए सहयोगी संस्थाओं की शिनाख्त करने का प्रयास करें।
- यह सुनिश्चित कर लें कि निविदा समिति की कार्यवृत में दर के औचित्य का विस्तृत विवरण हो। यह सिर्फ पहले की स्वीकृत दर के संदर्भ में ही नहीं होना चाहिए बल्कि बाजार दर और अन्य कारकों, जो कि दर्शाए गए दर में भी हो सकता है, को ध्यान में रखने के बाद किया गया हो।

Do's and Don'ts

Works Contract

✍ **Ashutosh Jha**
Dy. CVO (Elect)/ECR

DO'S:

- Survey market rate and consider the rate offered by the manufacturers/supplier on the rates quoted in the price list and make a proper & realistic rate analysis before finalizing the estimate and tender schedule.
- Ensure incorporation of eligibility criteria, similar nature of work strictly as per Railway Board/HQ's guidelines in NIT and tender document.
- Allow the prescribed time for opening of a tender to encourage proper response-except in exigencies with the approval of competent authority.
- Ensure that tender committee is constituted of competent level of officers specified as per extant orders nominated by competent authority.
- EMD, SD, PG conditions in the tender should be as per extant rule.
- Deal the delayed/late received tenders as per extant rules.
- Attempt identification of sister concerns to detect ring/ cartel formation.
- Ensure detailed deliberation of reasonableness of rates in the tender committee minutes. This should not only be with reference to previously accepted rates but also after taking into account of market rates and other factors which may have bearing on quoted rates.

- प्रत्येक एकल मद के साथ–साथ कुल लागत के संबंध में दर की औचित्य पर पहुँचने के लिए समरूप/सदृश/निकटवर्ती क्षेत्र में समान मद के बारे में उपलब्ध संदर्भित सूचनाओं का ध्यान रखें।
- यह सुनिश्चित करें कि विशेष कर महत्वपूर्ण एकल मद के कुल लागत और दर दोनों के मामले में दर को गंभीर रूप से, तार्किक और तकनीकी रूप से जाँच ली गई हो।
- प्रस्तावों की परस्पर स्थिति सही होने की स्थिति पर पहुंचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि सभी विशेष शर्तों के साथ वित्तीय विविक्षा प्राप्त कर ली गई हो।
- प्रस्ताव और विशेष सिफारिश के मामलों में निविदाकर्ता के लिए दी गई शर्तों पर पूरा सोच–समझ लें और इन्हें निविदा समिति के कार्यवृत में अवश्य दर्ज कर दें।
- ध्यान रखें Negotiation एक अपवाद होना चाहिए न कि नियमित (जहां दर तार्किक रूप से ज्यादा न हो और पुनः टेंडर करना संभव और वांछनीय न हो)।
- न्यूनतम वैध निविदा दाता से दर का मोल–भाव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से होना सुनिश्चित करें।
- यदि न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकार करने लायक नहीं हो तो इसे अनदेखा करने के लिए संबंधित प्रमाणिक और विस्तृत विवरण दर्ज करें।
- यह सुनिश्चित करें कि निविदा समिति के कार्यवृत में संबंधित सूचना जैसे तिथि, मीटिंग का स्थान एवं तिथि के साथ सभी सदस्यों का हस्ताक्षर बना हुआ है।
- असहमति नोट के साथ निविदा समिति के संस्तुतियों को सावधानी से संसाधित करें।
- सिर्फ निविदा समिति के कार्यवृत में स्वीकृति या अन्यथा को दर्ज करें और पन्नों पर ठीक प्रकार से नंबर डालें।
- कार्य प्रारंभ करने से पहले निर्मुक्त होने वाले सामानों की संयुक्त निरीक्षण कर सूची बनाएं।

- Consider all the relevant information available about similar items in the same or similar/adjoining areas for arriving at reasonableness of the rate in respect of individual items as well as total cost.
- Ensure that the reasonableness of rates is examined critically, logically and technically and specifically, both in respect of total cost and rates of important individual items.
- Ensure that all special conditions having financial implications are evaluated to arrive at correct inter-se position of the offers.
- Deliberate on all the conditions put forth for the tenderer in the offer and specific recommendation in respect of those conditions and it must be recorded in TC minutes.
- Remember negotiations should be an exception and not on regular basis.
- Ensure negotiation with lowest eligible tenderer only after getting approval of competent authority.
- Record relevant, valid & detailed reasons for overlooking the lowest offer if it is not acceptable.
- Ensure that the tender committee minutes contain the relevant information as the date, venue of the meeting and signature with date of all members.
- Treat the TC recommendation with dissenting notes carefully.
- Record the acceptance or otherwise on the body of the tender committee minutes only and pages should be correctly numbered.
- Joint inspection of inventory is to be carried out for the material to be released before commencement of the work.

- कार्य समाप्ति के पहले सुनिश्चित करें कि निर्मुक्त हुए सामानों को लेखा में लिया गया है।
- संवेदक को जारी किए गए रेलवे सामग्रियों का उचित लेखा–जोखा रखें।
- कार्य शुरू होने से पहले संवेदक द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निरीक्षण एवं पासिंग सुनिश्चित करें तथा रेकार्ड का उचित रख–रखाव करें।
- संवेदक को सामग्री सिर्फ अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से एवं कार्य प्रगति के अनुसार ही जारी करें। कार्यों के संपादन के दौरान प्रमाणिक अनुमोदित आरेख एवं विशेष विवरण जैसे RDSO/IS का अनुकरण करें।
- संविदा के शर्तों के अनुसार कार्य के सम्पादन हेतु योग्य तकनीकी पर्यवेक्षक के लिए जोर डालें।
- कार्य कराते समय करारनामा में अंकित स्पेसीफिकेशन एवं नवीनतम संशोधित आरेख का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
- रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों, संयंत्र और कलपूर्जों का भाड़ा खर्च की वसूली कार्य के तुरंत बाद संवेदक के क्रियाशील बिल से सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक पद में अतिरिक्त कार्य संपादन के पहले सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति सुनिश्चित करें ताकि करार दूषित न हो।
- मापन पुस्तिका में मापों को अंकित करने में Engineering Code के पारा 1315 एवं 1322 का अनुसरण करें। माप निर्दिष्ट स्थानों के साथ अंकित होने चाहिए।
- Field Book को अनुरक्षित करें जिसमें दैनिक प्रगति का विवरण कार्यस्थल के कार्य प्रगति के सापेख अंकित करें।
- कार्यस्थल पुस्तिका को अनुरक्षित करें जिसमें अधीनस्थ कार्यपालकों एवं संवेदक को दिए गए निर्देश सम्मिलित हो।

- Ensure all released materials are taken into account before work completion.
- Keep proper accountal of Railway materials issued to contractors at the site of work.
- Ensure inspection and passing of materials supplied by contractors before work starts and maintain proper records.
- Issue materials to the contractors only through authorized agents and control the issued material commensurate with progress of work. While execution or works, follow the standard drawings & specification like RDSO/IS.
- Insist for qualified technical supervisors for execution of works as per contract conditions.
- Refer the specifications & drawings thoroughly along with latest amendments as mentioned in the agreement.
- Ensure recovery of cost of materials supplied by Railways, hire charges for tools & plants etc. from the contractor's running bills immediately after their use.
- Ensure prior administrative approval of competent authority before executing additional quantities in each item so that the contracts are not vitiated.
- While recording measurements in the MB, follow the Engineering Codes 1315 and 1322. The measurements recorded should be specific with locations.
- Maintain field Book consisting of details of daily progress recording particulars with reference to works in progress location.
- Maintain site order book consisting of instruction issued to the Executive, sub ordinate and contractor.

- आपूर्ति सामग्रियों को स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सामग्री का ब्यौरा संविदा करारनामा के अनुसार हो।
- संपादित कार्यों का 20% परीक्षण जांच, मदवार एवं स्थान को दर्शाते हुए किया जाना चाहिए।
- संवेदक द्वारा अनुसूचित सामग्री को DMTR खाता में उचित चालान एवं जांच प्रतिवेदन के साथ लेना चाहिए।
- कंपनी को मांगपत्र एवं क्षतिपूर्ति बंध पत्र जमा करने के पश्चात ही संवेदक प्रतिनिधि को कार्य करने हेतु सामग्री निर्गत करना चाहिए।
- केबलों के बिछाने हेतु केबल खन्दक की गहराई ईंटों, बालू का प्रावधान इत्यादि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- DMTR एवं अंतरणों को प्रतिदिन जरूर बंद करें एवं सप्ताह में एक बार DMTR पर आद्याक्षर करें।
- दर संविदा वस्तुओं के बिल पारित करते समय दर संविदा के शर्तों के अनुसार वारंटी प्रमाण पत्र हेतु जोर दें।
- सामग्रियों के निरीक्षण प्रमाण पत्र को संविदा के मांग के अनुसार सत्यापित करें।
- निरीक्षण प्रमाण पत्र पारित करने से पहले DMTR को सत्यापित करें।

क्या न करें:–

- ✤ प्राधिकारी विशेष के स्वीकृति की शक्ति के अंतर्गत कार्य की कीमत रखने के लिए कार्य की निविदा बुलाने के निहित, कार्य को विभाजित न करें।
- ✤ पात्र ठेकेदारों की सहभागिता को सीमित करने के लिए, अनावश्यक/अप्रासंगिक शर्तें न लगाए।
- ✤ निविदा खुलने के पश्चात प्रस्ताव (प्रस्तावों) में संशोधन को शामिल न करें।
- ✤ अन्य मामलों/समीप वाले क्षेत्र में उसी निविदाकर्ता को अन्य ठेका देते समय खराब निष्पादन के आधार पर प्रस्ताव/निविदा अस्वीकृत न करें।

- Ensure before accepting the materials for their make and specification are as per contract agreement.
- The 20% test check should be specific with item and the location of the work checked.
- Supply portion in schedule by contractor should be taken into DMTR account with proper invoice bills and test reports.
- Issue of materials to contractor representative for execution should be done duly after receipt of requisition of firm and after submission of INDEMNITY bond.
- For laying of cables in cable trench proper care to be taken regarding depth, provision of bricks, sand cushion etc.
- DMTR transactions must be closed on every day and initial the DMTR once in a week.
- Insist for warranty certificate as per terms of rate contract while passing bills for RC items.
- Verify inspection certificate as per contract requirements.
- Verify the DMTR before passing inspection certificate.

DON'TS

✤ Do not split work to call separate tenders to keep the value of the work within acceptance powers of particular executive.

✤ Do not restrict the participation of all eligible contractors by including unnecessary/irrelevant special conditions.

✤ Do not entertain modification to offer (s) subsequent to opening of the tenders.

✤ Do not reject the offers/tenders on account of poor performance while awarding another work to the same tenderer in other cases/adjacent areas.

- ✤ प्राप्त प्रस्ताव के विचार के दौरान/निविदा आमंत्रित करने के दौरान दिए गए पात्रता मानदंड में बदलाव न करें।
- ✤ निविदा समिति गठित हो जाने के बाद समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन एवं उचित मान्य कारण (यदि कोई हो) दर्ज किए बिना निविदा समिति के सदस्यों को न बदलें।
- ✤ निर्दिष्ट अपवादात्मक परिस्थितियों के अलावा विलंबित/देर प्राप्त निविदा पर विचार न करें। (निविदा के आमंत्रण में देरी होने की स्थिति में इसे विचारार्थ रेलवे बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है)।
- ✤ यदि आप निविदा समिति के सदस्य है तो स्वीकृति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग न करें।
- ✤ निविदाओं पर विचार करते समय, निविदा को खुलने या मोल तोल करने के पश्चात निविदाकर्ताओं के पत्र/अभ्यावेदनों पर विचार न करें।
- ✤ निविदा समिति द्वारा विचार नहीं किए जानेवाले आशोधित प्रस्तावों पर विचार न करें।
- ✤ किसी प्रस्ताव विशेष के सुयोग्यता या अन्यथा पर निविदा समिति के विवेचना से पूर्व प्रतिक्रिया न दें।
- ✤ संस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति को प्रभावित करने के लिए विशेष शर्तों का मूल्यांकन करने में असंगतियों को न आने दें।
- ✤ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी गैर–अनुसूची मदों को परिचालित/समाविष्ट न करें। अपवादात्मक मामलों में जहां ऐसा किया ही जाना हो वहां आवश्यक साइट रिकार्ड अनुरक्षित करें।
- ✤ किसी निविदा के कार्य के बड़े मद के मामले में एकल मद का असामान्य रूप से उँचा और अव्यावहारिक दर स्वीकार न करें।
- ✤ जहां एक या अधिक शेड्यूल आइटमों को मिलाकर काम किया जाना संभव हो, नन– शेड्यूल आइटम से कार्य नहीं करना चाहिए।
- ✤ एक कार्यस्थल पर दो या अधिक संस्था को अनुमति न दें।

- ✤ Do not alter the eligibility criteria laid down while calling tender/during consideration of the offers received.
- ✤ Do not change the TC members once constituted, without prior approval of competent authority and proper valid recorded reasons, if any.
- ✤ Do not consider delayed/late received tenders except under specified exceptional circumstances. (It requires RB's approval to consider late/delayed offer).
- ✤ Do not exercise the powers of the accepting authority in case you are a member of the tender committee.
- ✤ Do not entertain letters/representations of tenderers subsequent to the opening or negotiation while considering of tenders.
- ✤ Do not accept modified offers, not considered by the Tender Committee.
- ✤ Do not advise the tender committee prior to their deliberations on the suitability or otherwise of any particular offer.
- ✤ Do not allow anomalies in evaluation of special conditions to affect the acceptance of the offer recommended.
- ✤ Do not operate/incorporate any new non-schedule items without sanction of the competent authority. In exceptional cases where it has to be done, maintain necessary site records.
- ✤ Do not accept the individual item rates abnormally high and unworkable in respect of major items of work in a tender.
- ✤ Do not operate non-scheduled items where it is possible to do work as per schedule or a combination thereof.
- ✤ Do not allow two or more firms to execute work at one site.

- ✤ संवेदक को ज्यादा मुनाफा वाली मदों के कार्यों को उसके इच्छानुसार पहले संपादन करने की अनुमति न दें ताकि संवेदक में पूरे कार्य को संपन्न करने की रूचि बनी रहे।
- ✤ बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन के, अनुसूची में दी गई मात्रा से ज्यादा सामग्री को स्वीकार न करें।
- ✤ एक संस्था द्वारा आंशिक रूप से छोड़े हुए कार्यों को संपादन हेतु किसी अन्य संस्था को अनुमति देने के पहले अंतिम माप ले लें एवं उसे पूर्व संवेदक एवं नवीन संवेदक से स्वीकृत करा लें।
- ✤ संवेदक द्वारा किए गए विभागीय उपकरणों के उपयोग के बिल की वसूली को संवेदक के अंतिम बिल तक इकट्ठा न होने दें।
- ✤ कार्य के परिपूर्ण मदों का भुगतान कार्य स्थल पर सामग्री आने मात्र से न करें जब तक कि संवेदक इसे कार्य की मदों के अनुसार उपर्युक्त स्थान पर लगा न दे।
- ✤ अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों की माप पुस्तिका पर अंकित न करें।
- ✤ बिना उचित प्राधिकार के वाह्य उपभोक्ता/संवेदक को बिजली की सप्लाई न दें।
- ✤ कार्य के दौरान निर्मुक्त हुए सामान का करार की शर्तों के अनुसार लेखा–जोखा किए बिना कार्य की माप न करें।
- ✤ माप पुस्तिका को बिना कार्य संपादन के न भरें।
- ✤ आपूर्ति सामग्री बिना सही जांच के न स्वीकार करें।
- ✤ समक्ष प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना RDSO/RITES निरीक्षण को प्रेषणी निरीक्षण में न बदलें।
- ✤ मूल पर्चा एवं चालानों के बिना सामग्री स्वीकार न करें।
- ✤ कार्य के संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के अनुमोदन बिना कार्यस्थल को परिवर्तित न करें।

*

- Do not allow the contractor first execute only those items considered more profitable at discretion, so that contractor's interest in completing the whole works remains.
- Do not accept the materials more than the scheduled quantity without obtaining approval from competent authority.
- Do not allow execution of partly left over works by another agency before taking final measurements of earlier contract and getting them accepted both by the old and the new contractor.
- Do not allow recoveries on accounts of use of departmental machinery by contractors to be accumulated up to the final bill.
- Do not make payment of a finished item of work on mere arrival of the material at site unless it is fixed in position as per description of the item of work.
- Do not record the measurements for such works, which are incomplete/defective.
- Do not extend the temporary power supply to outsiders/ contractors without proper authority.
- Do not record the measurement towards dismantling/ releasing work without ensuring proper accountable of released materials as per contract conditions.
- Do not Record measurements without carrying out the work.
- Do not accept supplied material without verification.
- Do not change RDSO/RITES Inspection to consignee inspection without approval of competent authority.
- Do not accept the material without original bills and invoices.
- Do not deviate the location without approval of sanctioning authority of the work.

*

क्या करें और क्या न करें

यातायात

✍ **उदयाचल कुमार**
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)/पूमरे

क्या करें।

- ❖ जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाये रखें।
- ❖ उच्च नैतिक मानदंड एवं ईमानदारी बनाये रखें।
- ❖ ड्यूटी आरंभ करने से पहले निजी धन की घोषणा अवश्य करें।
- ❖ पॉलिसी गाईड लाईन के तहत लीज में दिये गये भी.पी.यू एवं एस.एल. आर में लादे गये माल का वज़न प्रस्थान स्टेशन पर हर पाँचवें दिन सुनिश्चित करें।
- ❖ चल टिकट परीक्षक अपनी बीट के अनुसार ड्यूटी सुनिश्चित करें।
- ❖ चल टिकट पर्यवेक्षक अपने मूवमेन्ट रजिस्टर को अवश्य ही अद्यतन रखें।
- ❖ प्रत्येक मुद्रण पुस्तिका का प्रयोग करते समय दोनों तरफ कार्बन का प्रयोग अवश्य करें।
- ❖ समय से यू.टी.एस. एवं पी.आर.एस. सिस्टम में लॉग इन सुनिश्चित करें।
- ❖ हमेशा लॉग इन के लिए अपना लॉग इन आईडी का इस्तेमाल करें।
- ❖ फार्म कॉम/डी–16 (संशोधित) में ही बिलम्व शुल्क एवं स्थान शुल्क रिटर्न भरा जाना सुनिश्चित करें।
- ❖ यदि कोई बिना बुक किया पार्सल स्टेशन पर प्राप्त होता है तो उसके लिए आई.आर.सी.एम. का वॉल्यूम– I का पारा–967 का जरूर अनुसरण करना चाहिए।
- ❖ स्टेशन मास्टर/बुकिंग स्टॉफ तुरंत नॉन इश्यू टिकट पर हस्ताक्षर एवं तिथि के साथ रद्द करना सुनिश्चित करें।
- ❖ आरक्षित कोच में टिकट जाँच करते समय उचित आईडी की माँग अवश्य करें।
- ❖ प्रत्येक महीना के अंत होने के बाद ई.एफ.टी. रिटर्न अवश्य बनायें और यातायात लेखा कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

Do's and Don'ts

Traffic

✍ **Udyachal Kumar**
Dy. CVO (Stores)/ECR

Do's.

- ❖ Maintain courtesy and good behaviour with the people.
- ❖ Maintain high ethical standard and honesty.
- ❖ Must declare private cash before commencement of duty.
- ❖ Weighment of leased SLR/VP must be conducted at originating station on every 5th day as per policy guidelines.
- ❖ TTEs must travel/perform duty as per their beat.
- ❖ Must maintain TTEs movement dairy.
- ❖ Must use both side carbon on all money value book.
- ❖ Ensure timely log in UTS and PRS system.
- ❖ Always use your log in ID for log in purpose.
- ❖ Demurrage and wharfage returns must be accounted for in Form Com./D-16 (Rev)
- ❖ If any un-booked parcel is received at a station, Para 967 of IRCM volume-1 must be followed.
- ❖ Non-issued ticket must immediately be cancelled and initialled with dated by the SM/booking staff.
- ❖ Always check ticket along with proper ID in a reserved coach.
- ❖ EFT returns must be prepared after the close of the each month and submitted to Traffic Accounts office.

- ❖ अपने ड्यूटी समाप्ति के पहले प्राप्त सरकारी धन को सरकारी खजाने में जमा करें।
- ❖ गंतव्य स्थान पर माल प्राप्त करने वाला या उसके प्रतिनिधि से डिलेवरी बुक में हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें।
- ❖ सभी उतारे गये प्रेषणों को उतरान पुस्तिका में अंकित करना सुनिश्चित करें।

क्या नहीं करें।

- ❖ रिश्वत न मांगे एवं न स्वीकार करें।
- ❖ नशे की हालत में ड्यूटी पर न आवें।
- ❖ स्टेशन परिसर में धुम्रपान न करें।
- ❖ लगातार डबल ड्यूटी न करें।
- ❖ बिना रात्रि ड्यूटी किये रात्रि भत्ता का दावा न करें।
- ❖ पेपर टिकट में किसी भी तरह का सुधार या कटिंग न करें।
- ❖ स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंसी से प्रत्येक पाली में सरकारी धन जमा करवाना न भूले।
- ❖ बिना परिवर्तित किये सुविधा टिकट पर यात्रा की अनुमति न दें।
- ❖ किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा न करने दें।
- ❖ ई.एफ.टी, वी.पी.टी. पर ओवर राइटिंग या परिवर्तन की मनाही है।
- ❖ ओवर कैरिड प्रेषण को लौटाते समय बिना बुक किये न भेजें।
- ❖ निजी धन को रेलवे के दराज में न रखें।
- ❖ ड्यूटी शुरू करने से पहले साईन इन करना न भूलें।
- ❖ अवैध धन स्वीकार न करें।
- ❖ जब तक आपके अधीन कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत नकद घोषित नहीं किया जाता है, तब तक ड्यूटी करने की अनुमति न दें।

❋

- ❖ Collected Government cash must be deposited before leaving the duty place.
- ❖ Luggage and Parcel summaries must be prepared by the Parcel staff.
- ❖ All packages unloaded must be entered in the unloading book..

Don'ts

- ❖ Don'ts Solicit or accept bribes.
- ❖ Never perform duty in a state of intoxication.
- ❖ Don't smoke on station platform.
- ❖ Never perform double duty at a stretch.
- ❖ Do not claim false night duty allowance.
- ❖ Corrections in paper ticket is prohibited.
- ❖ Do not forget to take Govt. cash from STBA in each shift.
- ❖ Do not allow travelling on un-exchanged privilege ticket order.
- ❖ Don't allow journey on transfer of ticket.
- ❖ Overwriting or alteration on EFT or BPT is prohibited.
- ❖ Don't return over carried Parcel packages in unbooked condition.
- ❖ Don't keep the personal cash in Railway cash drawer.
- ❖ Don't forget to sign on before starting of duty.
- ❖ Don't accept illegal gratification.
- ❖ Don't allow to perform duty until personal cash has been declared by staff under your control.

❋

केस अध्ययन

यातायात

संतोष कुमार सिंह, मुसतानि/यातायात **अमर कुमार,** मुसतानि/यातायात
प्रभाकर सिंह, मुसतानि/यातायात **मनोज कुमार,** मुसतानि/यातायात

1. **रेलवे बोर्ड की सलाह पर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब्रिज पर एक निवारक जाँच की गई। एक कोयले की रेक का दोबारा वज़न किया गया था, जिसे पहले वज़न बिंदु पर कंसाइनी द्वारा समायोजित किया गया था जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गईः**

- 32 वैगनों में ओवरलोडिंग पाई गई, जिन्हें पहले समायोजित दिखाया गया था।
- इस प्रकार, 47.4 टन कोयले का शुल्क सामान्य माल ढुलाई दर से 3 गुना अधिक लिया गया।
- 154.2 टन कोयले का शुल्क सामान्य माल ढुलाई दर से 4 गुना अधिक लिया गया।
- परिणामस्वरूप रुपये 53,78,356 की राशि/– (तिरपन लाख अठहतर हजार तीन सौ छप्पन मात्र) दंडात्मक माल ढुलाई शुल्क के रूप में वसूल किया गया।

2. **सीआईटी कार्यालय में साईन ऑन और साईन ऑफ में अनियमितताः** सीआईटी कार्यालय में आयोजित निवारक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि उस इकाई के लगभग सभी चेकिंग स्टाफ का ''साईन ऑन'' और ''साईन ऑफ'' सीआईटी/प्रभारी की आईडी और पासवर्ड से किया जा रहा था, हालांकि प्रत्येक स्टाफ को ''साईन ऑन'' और ''साईन ऑफ'' के प्रयोजन के लिए उसकी व्यक्तिगत आईडी और पासवर्ड आवंटित किया गया था।

   संबंधित सीआईटी/प्रभारी को डीएआर कार्यवाही के तहत दीर्घ दंड शास्ति की अनुशंसा की गई है।

Case Study

TRAFFIC

Santosh Kumar Singh, CVI/T **Amar Kumar,** CVI/T
Prabhakar Singh, CVI/T **Manoj Kumar,** CVI/T

1. **On the advice of Railway Board a preventive check was conducted at Electronic In Motion Weighbridge. A coal rake was reweighed which was adjusted earlier by consignee at 1st weighment point and following irregularities found:**

- Overloading found in 32 wagons which were shown adjusted earlier.
- Thus, 47.4 Tonnes of coal were charged @ 3 times of the normal freight rate
- 154.2 Tonnes of coal were charged @ 4 times of the normal freight rate.
- A sum of Rs. 53,78,356/- Fifty Three Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred and Fifty Six only) was realised as punitive freight charges on this account.

2. **Irregularities detected at CIT Office in "Sign On" and "Sign Out".**

During preventive check conducted in CIT office, it was detected that "Sign On" and "Sign Out" of almost all checking staff of that unit was being by the ID and password of CIT/In-charge although each and every staff had been allotted his individual ID and password for the purpose of "Sign On" and "Sign Out".

Concerned CIT/In-charge was taken up under DAR proceedings and given SF-5.

3. **स्रोत सूचना पर पीआरएस कार्यालय में एहतियाती जांच की गई।**

स्रोत सूचना के आधार पर आरक्षण कार्यालय में स्लीपर तत्काल घंटों के दौरान समय 11:00 बजे एक निवारक जाँच की गयी। जाँच के दौरान पाया गया कि पीआरएस सिस्टम अन्य स्टाफ की आईडी पर लॉग इन था, लेकिन जांच के समय कोई दूसरा स्टाफ अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक स्लीपर जेसीआरटी काउंटर पर पड़ा हुआ था जिसके लिए कोई दावेदार/प्रतिनिधि कतार में उपलब्ध नहीं था। उक्त आरक्षण क्लर्क के सरकारी धन में रुपये 3880/– कम पाया गया।

दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध डीएआर कार्यवाही के तहत दीर्घ दंड शास्ति की अनुशंसा की गई है।

4. **पट्टे पर दी गयी एसएलआर में अतिलदान।**

स्रोत सूचना के आधार पर एक ट्रेन के पट्टे वाले डिब्बे (एसएलआर) में ओवरलोडिंग पर एक निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान लीज पर दिए गए एफएसएलआर के पार्सल पैकेजों को अनलोडिंग स्टेशन पर तौला गया। मेनिफेस्ट में उल्लिखित 103 पैकेजों के मुकाबले कुल 165 पैकेज पाए गए, और मेनिफेस्ट में उल्लिखित बुक किए गए वज़न 3860 किलोग्राम के मुकाबले वज़न 7596 किलोग्राम पाया गया, एफएसएलआर की वहन क्षमता 3900 किलोग्राम थी। 3696 किलोग्राम का अधिक वज़न पाया गया। इस प्रकार, रुपये 86,797/– अवप्रभार के रूप में जुटाए गए और वसूल किए गए।

संबंधित रेलवे को लीज समझौते के अनुसार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके स्तर पर लीज एसएलआर में लोडिंग की आगे की निगरानी करने की सलाह दी गई है।

5. **ऑन डिमांड पार्सल यान में अतिलदान**

स्रोत सूचना के आधार पर ऑन डिमांड पार्सल वैन में ओवरलोडिंग की पुष्टि करने के लिए एक निवारक जाँच की गई।

- ❖ पट्टे पर दिए गए वीपी की क्षमता : 24,000 किलोग्राम।
- ❖ पट्टे पर दिए गए वीपी का घोषित वज़न : 23,810 किलोग्राम।

3. **On source information a preventive check was conducted in PRS Office.**

On source information, a preventive check was conducted in PRS during Sleeper Tatkal hours at 11:00 hrs. During check it was found that PRS system was logged in on the ID of other staff but another staff was performing her duty at the time of check. One Sleeper JCRT was found lying at the counter for which no claimant/representative was available in the queue. Rs. 3880/- was found short in Govt. cash of concerned reservation clerk.

Both the staff were taken up under DAR proceedings and given Major penalty.

4. **Overloading of Leased SLR.**

Based on source information of overloading in leased compartment (SLR) of a Train, preventive check was conducted. During the check parcel packages of FSLR on lease was weighed at unloading station. Total 165 packages were found against 103 packages mentioned in manifest, and weight found 7596 Kg against booked weight mentioned in manifest as 3860 Kg. carrying capacity of FSLR was 3900 Kg. An excess weight of 3696 Kg detected. Thus, Rs. 86,797/- raised and realized as undercharge.

The concerned Railway has been advised for action against the party as per lease agreement and further monitoring of loading in leased SLRs at their end.

5. **Overloading in the on demand parcel Van.**

On source information a preventive check was conducted to verify the overloading in the on demand parcel Van.

- Capacity of the leased VP : 24,000 Kg
- Declared weight of the leased VP : 23,810 Kg

- ❖ वास्तविक वजन पाया गया : 27,800 किलोग्राम।
- ❖ अधिक वजन पाया गया : 3,800 किलोग्राम।
- ❖ इस प्रकार कुल रुपये 1,95,257/— की राशि अवप्रभार के रूप में स्थापित एवं अर्जित किया गया।

6. पीआरएस जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितता,।

एक स्रोत सूचना के आधार पर काउंटर खुलने के समय (08:00 बजे) पीआरएस काउंटर पर एक निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :—

- ❖ जाँच के दौरान, यह पाया गया कि काउंटर पर ऑन ड्यूटी ईसीआरसी के बजाय एसटीबीए द्वारा लॉग—इन किया गया था।
- ❖ एसटीबीए के स्पष्टीकरण के दौरान, यह पाया गया कि समय पर लॉग—इन (08:00 बजे) करने के लिए एसटीबीए को अपनी लॉग—इन आईडी और पासवर्ड प्रदान करके काउंटर पर ऑन ड्यूटी ईसीआरसी की अनुपस्थिति में लॉग—इन किया गया था।

उपरोक्त अनियमितता को दूर करने के लिए, पूरे भारतीय रेलवे में पीआरएस काउंटरों के लिए साईन ऑन/साईन ऑफ पर बायो—मेट्रिक/चेहरा पहचान की सिफारिश की गई है।

7. सीआईटी कार्यालय में एक निवारक जाँच की गई।

सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं —

- ❖ टिकट चेकिंग स्टाफ अन्य टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए प्रॉक्सी ''साईन ऑन'' और ''साईन ऑफ'' में लिप्त पाए गए।
- ❖ ट्रेन में निवारक जाँच के दौरान, यह देखा गया कि बुक किए गए टिकट चेकिंग स्टाफ निर्धारित समय के अनुसार ट्रेन में नहीं चल रहे हैं, वे या तो रास्ते के मध्यवर्ती स्टेशन पर सवार होते हैं या गाड़ी में ड्यूटी ही नहीं करते हैं।
- ❖ इस प्रकार की गड़बड़ियों पर नियंत्रण के लिए, रेलवे बोर्ड को बायो—मेट्रिक/चेहरा पहचान तकनीक लागू करके टीटीई के

- Actual Weight found : 27,800 Kg
- Excess weight found : 3,800 Kg
- A sum of Rs. 1,95,257/- was raised & realised as under charge.

6. Irregularities noticed during PRS check.

On a source information a preventive check was conducted at a PRS counter at the time of opening the counter (08:00 hrs). Following irregularities were notice during check.

- During check, it waqs found that the counter was log-in by STBA instead of on duty ECRC.
- During clarification of the STBA, it as noticed that the counter was logged-in without presence of the on duty ECRC by providing their log-in ID and password to the STBA for timely log-in (08:00 hrs)

To eradicate the above irregularity, Bio-Metric/face recognisation at Sign On/Sign Off is recommended for PRS counters all over the Indian Railways.

7. A preventive check conducted at CIT Office.

Following irregularities were detected during the vigilance check –

- Ticket Checking Staff were found indulged in proxy "Sign On" and "Sign Off" for other Ticket Checking Staff.
- During preventive check in Train, it was noticed that booked Ticket Checking Staff are not manning the Train as per schedule. Either they were boarding en-route at intermediate station or not manning at all.
- For control, over this menace, it was suggested to implement/inclusion of additional feature in existing

मौजूदा क्रिस आधारित सॉफ्टवेयर ''साईन ऑन''/साईन ऑफ में अतिरिक्त सुविधा को लागू/शामिल करने का सुझाव दिया गया।

8. **''साईन ऑफ'' के दौरान अनैतिक आचरण :–**

स्रोत सूचना के आधार पर ''साईन ऑफ'' के दौरान टीटीई लॉबी में एक निवारक जाँच की गई, जिसमें टिकट चेकिंग स्टाफ की व्यक्तिगत नकदी और सरकारी नकदी की जाँच की गई और सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं –

- ❖ जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 05 टिकट चेकिंग स्टाफ में से केवल 04 चेकिंग स्टाफ ''साईन ऑफ'' के लिए आते हैं। इससे पता चलता है कि चेकिंग स्टाफ में से एक की उपस्थिति या तो प्रॉक्सी ''साईन ऑन'' द्वारा की गई थी या रास्ते में ही उतर गया था।
- ❖ चार में से दो टिकट चेकिंग स्टाफ ने सतर्कता जाँच में सहयोग नहीं किया और मौके से भाग गए।
- ❖ चेकिंग स्टाफ में से एक के पास नकद सरकारी धन में रुपए 325/– अधिक पाया गया।
- ❖ ट्रेन के टीएस/कंडक्टर द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटी से अनुपस्थिति के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाने में विफल रहे।
- ❖ सभी संबंधित टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्यवाई की अनुशंसा की गई है।

9. **स्टेशन पर उपलब्ध ''भुगतान करें और उपयोग करें'' शौचालयों में अनियमितताएं पाई गई :–**

एक स्रोत सूचना के आधार पर स्टेशन पर उपलब्ध कराए गए ''भुगतान करें और उपयोग करें'' शौचालयों की एक निवारक जाँच की गई। जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं –

- ❖ जाँच के दौरान पाया गया कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान निर्धारित समय पर नहीं किया गया।
- ❖ उपयोगकर्ताओं को मुद्रित रसीद प्रदान नहीं की जाती थी।

CRIS based software of TTEs "Sign On"/"Sign Off" by implementing Bio-metric/face recognition technology to Railway Board.

8. **Unethical practice during "Sign Off".**

On source information a preventive check was conducted at a TTE lobby during "Sign Off", wherein personal cash and government cash of ticket checking staff were checked and following irregularities were detected during the vigilance check –

- During check, it was found that out of 05 ticket checking staff only 04 checking staff turn up for "Sing Off". This suggests that attendance of one of the checking staff was done either by proxy "Sign On" or detrained en-route.
- Out of four, two ticket checking staff not co-operated in the Vigilance check and fled away from the spot.
- A sum of Rs. 325/- found excess in Govt. cash with one of the checking staff.
- TS/Conductor of the train failed to bring into the notice of competent authority regarding absence of staff from duty.
- All concerned ticket checking staff were taken up under D&AR.

9. **Irregularities detected in Pay & Use Toilets at station.**

On a source information a preventive check was conducted at "Pay and Use" Toilets provided at station. Following irregularities were noticed –

- During check it was found that license fee was not paid on time.
- Printed receipt was not being provided to users.

- ❖ अनुभागीय डीसीआई ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने और कमियों को सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाने में विफल रहे।
- ❖ डीलिंग क्लर्क भी नोट या अन्य माध्यम से लाइसेंस शुल्क के बकाया के संबंध में प्रकाश डालने में विफल रहे।
- ❖ अनुभागीय डीसीआई और डीलिंग क्लर्क दोनों की ओर से हुई चूक के लिए उन्हें अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

10. **गुड्स शेड में अनियमितताएं ।**

एक स्रोत सूचना पर गुड्स शेड में एक निवारक जाँच की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं –

- ❖ जाँच के दौरान यह पाया गया कि गुड्स शेड क्लर्क खाली समय की समाप्ति के बाद भी स्थान पर पड़े माल को हटाने के लिए स्थान शुल्क लगाने में विफल रहा।
- ❖ गुड्स शेड के कर्मचारी द्वारा वार्फ रजिस्टर में वार्फ की वास्तविक स्थिति को दर्शाया नहीं गया था।
- ❖ गुड्स शेड के कर्मचारियों ने टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली में खाली समय के भीतर माल को हटाना दिखाया था।
- ❖ रुपये 2,96,731/–की राशि वार्फेज शुल्क के रूप में जुटाए गए और वसूल किए गए।

इस प्रकार उक्त चूक के लिए दोनों कर्मचारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

*

- Sectional DCI failed to the take any action against the contractor and bring out the deficiencies to the notice of competent authority.
- Dealing clerk also failed to highlight regard of arrear of licence fee through note or otherwise.
- For the lapses on their part sectional DCI and Dealing Clerk both were taken up under D&AR.

10. Irregularities detected in Goods Shed.

On a source information a preventive check was conducted at Goods Shed, following irregularities were noticed –

- During check it was found that Goods shed clerk failed to impose wharfage on the consignment lying on the wharf well after expiry of free time for removal.
- Goods shed staff had not shown the actual wharf position in the wharf register.
- Goods shed staff had shown removal of consignment within free time in terminal management system.
- A sum of Rs. 2,96,731/- was raised and realized on account of wharfage.

For the lapses on their part both staff were taken up under D&AR.

*

केस अध्ययन

लेखा एवं कार्मिक

1. शिशु शिक्षण भत्ता के भुगतान में अनियमितता

✍ नीरज कुमार मुसतानि/कार्मिक

शिशु शिक्षण भत्ता के मामले पर एक निवारक जाँच की गई जिसमें पाया गया कि X स्टेशन पर स्थित Y कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारियों में कुल 69 कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ दिया गया था। सतर्कता जाँच में पाया गया कि उक्त 69 कर्मचारियों में Z नाम के कर्मचारी ने केवल अपने एक ही बच्चे के लिए शिशु शिक्षण भत्ता भुगतान के लिए आवेदन किया है। अतः इनके पक्ष में रुपए 27000/– ही पास किया जाना चाहिए था लेकिन तत्कालीन लिपिक एवं सुपरवाईजर B के द्वारा शिशु शिक्षण भत्ता का आवेदन की जाँच सही तरीके से नहीं करने के कारण उक्त कर्मचारी के पक्ष में रु. 54000/– भुगतान कर दिया गया था।

जाँच के आधार पर उक्त कर्मचारी एवं B के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई करने एवं उक्त राशि के भुगतान की कटौती की अनुशंसा की गई है।

2. फर्जी तरीके से पेंशन का भुगतान

✍ रीतेश राज, मुसतानि/लेखा

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जांच के दौरान गंभीर अनियमितता देखने को मिली है, जिसका विवरण इस प्रकार है –

एक रेल कर्मचारी (X) रेल सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसे अपने पसंदीदा बैंक (A) से पेंशन प्राप्त करने के लिए पीपीओ जारी किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद, मृतक रेलवे कर्मचारी (X) की विधवा (Y) ने पेंशन निकालने के लिए बैंक (A) से दूसरे बैंक (B) में पेंशन स्थानांतरण हेतु एक आवेदन दिया। वर्तमान में Y को बैंक B द्वारा पेंशन आहरित की जा रही है।

जब सतर्कता दल Y के जीवन प्रमाण पत्र की जाँच के लिए बैंक B में गई तो पता चला कि वर्ष 2022 के लिए उसका जीवन प्रमाण पत्र बैंक में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद बैंक B द्वारा Y के पक्ष में पेंशन दी जा रही है।

Case Study

Accounts & Personnel

1. Irregularity of payment of Children Education Allowances:

✍ **Neeraj Kumar CVI/P**

A preventive Check was conducted on the issue of children educational allowance where it was found that at Y office of X station, 69 employees were given children educational allowance, Out of such 69 employees, a employee named Z had claimed children educational allowance for his one ward i.e. Rs.27000/- But due to adequate checked by the clerk ‘A’ and supervisor ‘B’, Z named employee was paid Rs. 54000/- two wards children educational allowance.

On the basis of the investigation, D&AR action against A & B employee are recommended with direction to recover the overpayment of children educational allowance from Z.

2. Fraudulently Payment of Pension

✍ **Ritesh Raj, CVI/A**

During a preventive check in a Division of East Central Railway, a serious irregularity is seen, whose descriptions are as under :-

A railway servant (X) was superannuated from Railway Service and issued PPO after his retirement for drawing his pension from his choice bank (A). After his death, an application was received from the widow (Y) of deceased railway employee (X) to transfer his bank (A) to another bank (B) for drawing pension. The pension is being drawn to Y by the bank B presently.

When the vigilance team visited the bank B for checking the Life Certificate of Y, it was found that her life certificate for the year 2022 was not available in the bank. Despite this, the pension is being given by the bank B in f/o Y.

जाँच के दौरान, अलग पीपीओ नंबर वाले एक अन्य विधवा (Z) (जो Y के समान नाम वाली थी) के पक्ष में एक ही वर्ष (यानी 2022) के दो जीवन प्रमाण पत्र, बैंक में पाए गए। जब बैंक को Y की ग्राहक रिकॉर्ड फाईल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया तो उनमें Y की पेंशन रोके जाने के संबंध में कुछ अन्य कागजात देखे गए, जिससे पता चलता है कि Y की मृत्यु की सूचना पर उसकी पेंशन कुछ समय के लिए रोक दी गई थी और कुछ समय बाद बैंक द्वारा इसे पुनः प्रारंभ किया गया था।

जब सतर्कता दल Y के गाँव और आवास पर गया तो पता चला कि Y की मृत्यु हो चुकी है। पंचायत के मुखिया ने भी मौखिक रूप से बताया कि Y की मौत हो गयी है। मुखिया ने मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध करायी थी, जिसमें Y (जिसका EPIC नंबर ..... है) के नाम के बाद "DELETED" की मोहर लगी है। इसके अलावा X के एक रिश्तेदार ने भी लिखित रूप में स्पष्ट किया कि Y की मृत्यु हो चुकी है।

ऐसे में संबंधित मंडल रेल प्रबंधक को सलाह दी गई है कि वे मामले की ठीक से जाँच करें और धोखाधड़ी करने वाले और लिप्त बैंक के कर्मचारी, यदि कोई हो, के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें और यदि Y को गलत तरीके से पेंशन का भुगतान किया गया है, तो वसूली भी की जाए।

*

काम के निष्पादन के दौरान
घटिया सामग्री के उपयोग की
अनुमति न दें।

During scrutiny, two Life Certificates for the same year (i.e. 2022) in favour of another widow (Z), alike name of Y, bearing another PPO Number, were found in the bank. While the customer record file of Y was asked to provide by the bank then some other papers regarding withholding of pension in f/o Y was seen in them, which shows that the pension of Y was stopped for sometime on the information of her death and the same was restarted by the bank after some time.

When the vigilance team visited the village and residence of Y then it was informed that Y is dead. The Mukhiya of the Panchayat also informed verbally that Y is dead. The Mukhiya had provided the copy of voter list, where the name of Y (bearing EPIC No.*********) is followed with stamp of "DELETED". Further a relative of X also clarified in writing that Y is dead.

As such concerned DRM had been advised to enquire the case properly and take appropriate legal action against the imposter and indulged bank's employee, if any, and recovery may also be made, if wrongly pension paid to Y.

*

" It is the Duty of all leading men,
whatever their persuasion or party,
to safeguard the Dignity of India."
– Mahatma Gandhi

केस अध्ययन

अभियंत्रण

1. आरडीएसओ ड्राइंग संख्या– आरडीएसओ/बी–10152/6 आर का उल्लंघन कर एक बॉक्स पुलिया पुल में आरसीसी विंग की दीवारों के स्थान पर पीसीसी विंग की दीवारों का निर्माण किया गया और आरसीसी बॉक्स, विंग और रिटर्न वॉल के विस्तार का जीएडी/संरचनात्मक चित्रण को अनुमोदन दिए बिना बिल पास कर दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन चित्रण का भी अनुमोदन नहीं किया गया।

✍ **सतीश कुमार,** मुसतानि/इंजी.

फाईल की जांच के दौरान यह पाया गया कि एक बॉक्स पुलिया पुल में विंग और रिटर्न वॉल के निर्माण में आरडीएसओ ड्राइंग के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। आरडीएसओ ड्राइंग के अनुसार, विंग की दीवार आरसीसी की होनी चाहिए, लेकिन निर्माण स्थल पर यह पीसीसी की थी जो आरडीएसओ ड्राइंग के प्रावधान का उल्लंघन है। आरडीएसओ ड्राइंग संख्या आरडीएसओ/बी –10152/6आर के अनुसार विंग वॉल आरसीसी की होनी चाहिए और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिजाईन और बाद में अनुमोदित किया जाना था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि उप मुख्य अभियंता/निर्माण द्वारा समापन चित्रण को हस्ताक्षरित किया गया लेकिन इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। विंग दीवार के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर कंक्रीट का उपयोग किया गया है जबकि आरडीएसओ ड्राइंग संख्या आरडीएसओ/बी–10152/6 आर के अनुसार विंग वॉल आरसीसी का किया जाना था। इस ड्राइंग में विंग दीवार की ऊंचाई जी.एल. से 6 मीटर ऊपर दर्शित है।

आरडीएसओ ड्राइंग संख्या आरडीएसओ/बी–10152/6 आर के अनुसार विंग वॉल आरसीसी विंग वॉल की होनी चाहिए। लेकिन पुल के विस्तारित हिस्से में विंग वॉल का निर्माण एमसीसी से किया गया जबकि विंग वॉल की ऊंचाई जीएल से 6 मीटर ऊपर थी जो कि आरडीएसओ ड्राइंग के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसे सक्षम प्राधिकारी से डिजाईन और अनुमोदित किया जाना था। लेकिन यह पाया गया है कि विंग वॉल का निर्माण सक्षम प्राधिकारी से डिजाईन और अनुमोदन कराए बिना किया गया था। पीसीसी विंग की दीवारें खराब हो गईं, जिससे रेलवे को लगभग रुपये 1.5 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

Case Study

ENGINEERING

1. Regarding PCC wing walls were constructed in place of RCC wing walls in a box culvert bridge thereby violating RDSO drawing no. RDSO/B-10152/6R & passed the bill without having approved GAD/Structural drawing of extension of RCC box and wing and return wall. Completion drawing was also not approved by competent authority.

✍ **Satish Kumar,** CVI/Engg.

During scrutiny of file, it is found that Provision of RDSO drawing was not followed for construction of wing and return wall in a box culvert bridge. As per RDSO drawing the wing wall should be of RCC but at site it was of PCC, which violates provision of RDSO drawing. As per RDSO drawing No. RDSO/B-10152/6R the wing wall should have been of RCC and it has to be designed and subsequently approved by the competent authority, but it was not followed.

It has also been observed that as per completion drawing signed by Dy. CE/Con but it was not approved by the competent authority, mass concrete has been used for construction of wing wall while as per RDSO drawing no. RDSO/B-10152/6R, wing wall has to be R.C.C. wing wall because the height of wing wall as shown in this drawing is 6 m above G.L.

As per RDSO drawing no. RDSO/ B-10152/6R wing wall must be RCC wing wall. But in the extended portion of bridge wing wall was constructed with MCC, even though the height of wing wall was 6m above GL, which is violation of provision of RDSO drawing. It had to be designed and approved from the competent authority. But it has been found that construction of wing walls was done without getting it designed and approved from competent authority. PCC wing walls failed, which has caused additional expenditure about 1.5 crore to Railway .

यह पाया गया कि पुल (आरसीसी बॉक्स) का निर्माण मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण) ड्राइंग के अनुसार किया गया था। फॉर्मेशन स्तर में बदलाव के कारण पुल के दोनों तरफ विस्तार किया गया था, लेकिन यह भी पाया गया है कि इसके लिए कोई जीएडी/संरचनात्मक चित्रण तैयार/अनुमोदित नहीं हुआ था और जीएडी/संरचनात्मक चित्रण का बिना अनुमोदन के ही कार्य निष्पादित किया गया।

पुल विस्तार कार्य के लिए तैयार की गई एकमात्र ड्राइंग समापन ड्राइंग है, जो कार्य समाप्त होने के बाद तैयार की गई और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं थी। लेकिन जीएडी/संरचनात्मक चित्रण के अनुमोदन के बिना ही विंग वॉल और रिटर्न वॉल के साथ आरसीसी बॉक्स के विस्तार के लिए बिल स्वीकृत किया गया था ।

2. निविदादाता की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन के संबंध मे -

✍ सतीश कुमार, मुसतानि/इंजी.

फाईल की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल में मानवयुक्त समपार फाटकों (एमएलसी) पर सीमित ऊंचाई वाले सबवे (एलएचएस) के प्रावधान द्वारा मानवयुक्त समपारों को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा था। इन कार्यों को अलग से स्वीकृत किया गया और एक ही फर्म को इन सभी कार्यों का निविदा दिया गया।

ये पांच निविदाओं को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर, यह देखा गया है कि सभी पांच निविदाओं में निविदाकर्ता से 1.21 करोड़ रुपये की एकमात्र प्रस्ताव प्राप्त हुई थी और निविदादाता द्वारा संलग्न क्रेडेंशियल सभी पांच निविदाओं में समान पाया गया था। निविदा समिति द्वारा इस पर चर्चा की गई थी कि एकमात्र निविदादाता ने 68.22 लाख रुपये (35.96 लाख रुपये के आवश्यक मूल्य से अधिक) के मूल्य के लिए काम पूरा किया था और क्रेडेंशियल को योग्य माना गया तथा उसे निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। एक दौर की बातचीत के बाद सभी पांच बोलियां रुपये 1.18 करोड़ (अद्यतन औसत एलएआर से 2.8 प्रतिशत अधिक) पर प्रदान की गई।

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत क्रेडेंशियल से यह स्पष्ट है कि ''पीएससी द्वारा एफसी स्लैब के प्रतिस्थापन और ब्रिज के बेड लेवल के नीचे 'यू' ट्रफ जैकेटिंग'' का संविदा 2.46 करोड़ रुपये के मूल्य पर किया गया था। हालांकि, निष्पादित मूल्य सिर्फ 68.22 लाख रुपये था जो निविदा मूल्य का 27 प्रतिशत था। किसी भी सामान्य विवेक वाले व्यक्ति को संदेह होना चाहिए था कि निष्पादित घटक

It has been found that Bridge (RCC Box) was constructed as per CAO (Con) drawing**.** Extension of Bridge on both sides was done due to change in formation level, but it has been also found that no GAD/Structural drawing was prepared/approved for the same & without having approved GAD/structural drawing the work was executed.

The only drawing prepared for the work of extension of Bridge was the completion drawing, which was prepared after completion of work & the same is not approved by the competent authority. But the bill was passed without having approved GAD/Structural drawing for extension of RCC box with wing wall and return wall.

2. Regarding evaluating technical capability of bidder

✍ **Satish Kumar.** CVI/Engg.

During scrutiny of file, it is found that the works of "elimination of manned level crossings by provision of Limited Height Subways (LHS) at Manned level crossing gates (MLC) in this railway. These works were approved separately and single firm was awarded tender of all these works.

As to the issue of finalization of these five tenders, it was noticed that sole offer from tenderer was received for Rs 1.21cr in all five tenders and the enclosed credential by bidder was found to be same in all five tenders, it was discussed by Tender Committee that the sole bidder had completed work for a value amounting to Rs 68.22 lakhs (more than required value of Rs.35.96 lakhs) and considered the credential as qualified and the same was accepted by Tender Accepting Authority. All five bids were found to be awarded at Rs 1.18cr (2.8% higher than updated LARS) after conducting one round of negotiation.

It was apparent from credential submitted by the tenderer that the contract for "Replacement of FC slab by PSC & 'U' Trough jacketing below bed level of Bridge" was entered for a value of Rs. 2.46cr. However, the executed value was just Rs. 68.22 lakhs i.e. 27% of contract value. Any person of common prudence with

के मूल्य पर विचार करते हुए कार्य पूरी तरह से निष्पादित किया गया था या नहीं। हालांकि, निविदा समिति और निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा क्रेडेंशियल की पुष्टि के अलावा कोई प्रयास नहीं किया गया। आगे पूछताछ करने के बाद, यह पता चला कि जो वास्तविक कार्य जैकेटिंग के द्वारा भारी मरम्मत की थी को निष्पादित किया गया और पुल के पुनर्निर्माण कार्य के दायरे को मुख्यालय के सूचित निर्णय के अनुसार कम कर दी गई।

यह देखा गया कि क्रेडेंशियल जारी करने वाले प्राधिकारी ने प्रमाणपत्र में वास्तविक निष्पादित कार्य का संकेत दिया होता या संयोजक ने प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से अपेक्षित जानकारी मांगी होती, तो निविदा को अंतिम रूप से और उचित सटीकता के साथ अंतिम रूप दिया गया होता।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कार्यपालक अधिकारियों को निविदादाता की तकनीकी क्षमता का मूल्यांकन करते समय भविष्य में अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है।

3. निविदाओं में दरों की तर्कसंगतता के औचित्य के लिए एलएआर के अद्यतनीकरण के लिए आरबीआई सूचकांकों के उपयोग के संबंध में सुधार।

✍ जितेन्द्र कुमार, मुसतानि/इंजी.

एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक मंडल में निविदाओं में एलएआर के अद्यतनीकरण/वृद्धि के लिए, वृद्धि के उद्देश्य से 5 प्रतिशत वृद्धि पर विचार किया गया था जो एक अनुमानजन्य मूल्य है और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। 5 प्रतिशत वृद्धि पर विचार करने पर जो परिणाम निकला वह वास्तविक बाजार मूल्यों के अनुरूप नहीं है। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2013/सीई–1/सीटी/ओ/12/जेडटी दिनांक 07.06.2013 द्वारा भी समय वृद्धि के लिए एवं दरों में वृद्धि के लिए, आरबीआई सूचकांकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सतर्कता संगठन के सलाह पर प्रधान विभागाध्यक्ष द्वारा पत्र जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निविदाओं के साथ–साथ अनुमान उद्देश्य में दरों की तर्कसंगतता के औचित्य के लिए वर्तमान दरों पर पहुंचने के लिए, दरों के अद्यतन/वृद्धि में आरबीआई सूचकांकों का उपयोग करें।

ordinary diligence should have suspected as to whether the work was fully executed considering the value of executed component. However, no such effort except confirmation of credential was ensured by Tender Committee and Tender Accepting Authority. After further questioning, it was unearthed that the actual work that was executed was heavy repairs of jacketing and scope of construction of bridge work by replacement was pruned down as per informed decision of HQs.

It is observed that had the credential issuing authority indicated the actual executed work in the certificate or had the convener sought requisite information from certificate issuing authority, the tender would have been finalized with finality and reasonable accuracy.

In view of the above, executives are advised to be more careful in future while evaluating technical capability of bidder.

3. Improvement regarding use of RBI indices for updation of LAR's for justification of easonableness of rates in tenders.

✍ **Jitendra Kumar Singh,** CVI/Engg/HJP

During investigation of a vigilance case, it was found that for updation/escalation of LAR's in tenders in a division, 5% escalation was considered for escalation purpose which is an empirical value and has no actual significance. The result arrived at, by considering 5% escalation yields result which is not consistent with actual market values. Further Rly. Bd. vide letter No. 2013/CE-I/CT/0/12/ZT dated 07.06.2013 also emphasizes to use RBI indices for enhancement of rates for time escalation.

In view of the above, a letter was issued by PHOD on advice of Vigilance Organization to all concerned officials to use RBI indices for updation/escalation of rates for arriving at current rates for justification of reasonableness of rates in tenders as well as estimate purpose.

4. निविदा दस्तावेज में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गिट्टी परीक्षण रिपोर्ट उल्लेखित लैब से नहीं थी।

✍रविन्द्र कुमार रमण, मुसतानि/(इंजी.)/हाजीपुर

एक निविदा फाइल की जांच के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं:–

- निविदा दस्तावेज की विशेष शर्तों और विशिष्टताओं के अनुसार, 50 मिमी नोमिनल आकार के ट्रैक गिट्टी की आपूर्ति के लिए, फॉर्मेशन इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, पूर्वी रेलवे, हावड़ा या राइट्स की किसी प्रयोगशाला या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज से परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन निविदाकर्ता ने डेल्टा, प्लॉट नंबर सी, 5, कंझावला रोड, राजीव नगर, दिल्ली– 110086 द्वारा जारी की गई बैलास्ट टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि यह प्रयोगशाला आई.एस.ओः 9001–2015 प्रमाणित प्रयोगशाला है और एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- यह देखा गया है कि पूर्व मध्य रेल के मंडलों और निर्माण संगठन में, निविदा में उल्लेखित प्रयोगशालाएॅं जहाँ से गिट्टी की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी उनमें एकरूपता नहीं है।
- निविदाकर्ता द्वार प्रस्तुत शपथ पत्र में, एक पैरा में एक स्थान छोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ निविदकर्ता का नाम अन्तर्दिष्ट किया जाना था प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जाँच नहीं की गई।

अतः यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं होने चाहिए।

5. एनआईपी के कार्यान्वयन के संबंध में एक निवारक जांच।

✍ संजय कुमार वर्मा, मुसतानि(इंजी.)/हाजीपुर

एनआईपी के कार्यान्वयन के संबंध में एक निवारक जांच की गई थी। एनआईपी में ''समय वेतनमान में वर्तमान वेतन को गैर–संचयी प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए नीचे दो (02) चरणों में घटा दिया गया है'' लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था।

एनआईपी के कार्यान्वयन की जांच के दौरान, आरोपित अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड में इसे पृष्ठांकित किया गया था। आरोपित अधिकारी को एनआईपी की एक प्रति भी प्रदान की गई थी लेकिन संबंधित कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक द्वारा इस पर अमल नहीं किया गया। जो एनआईपी के क्रियान्वयन में उनकी लापरवाही को दर्शाता है।

4. Ballast Test Report submitted by tenderer was not from the Lab mentioned in tender Document.

✍ **Ravindra Kr. Raman,** CVI/Engg/HJP

During investigation of a tender file, following deficiencies were found:-

- As per special conditions and specification of tender document, for supply of 50 mm nominal size track ballast, test report is required to be submitted from Formation Engineering Laboratory, Eastern Railway, Howrah or from any laboratory of RITES or from any recognized Engineering College. But tenderer submitted Ballast Test Report issued from DELTA, Plot No. C, 5, Kanjhawala Road, Rajiv Nagar, Delhi, 110086. Although the laboratory was ISO:9001-2015 Certified laboratories and accredited by NABL.
- It has been observed that the test report of ballast of divisions of ECR and construction organization are not having similarity in list of laboratories mentioned in the tender documents from where the test report of ballast has to be obtained.
- Tenderer submitted affidavit with one space left blank in one para where the name of the tenderer had to be inserted. The offer was not examined carefully.

Hence it must be ensured that such type of irregularities should not take place.

5. Preventive check conducted regarding implementation of NIP .

✍ **Sanjay Kumar Verma,** CVI/Engg/HJP

A preventive check was conducted regarding implementation of NIP. In NIP "Present pay in the time scale of pay is reduced to Two (02) stages below for a period of one year with non-cumulative effect" but it had not been implemented.

During investigation of implementation of NIP, it was endorsed in service record of charge official. A copy of the NIP was also provided to the charge official. But it was not implemented by office superintendent of concerned office. It shows his carelessness in implementation of NIP.

निवारक जांच के बाद, दंड के क्रियान्वयन के साथ–साथ रुपये 86,602/– की वसूली भी आरोपित अधिकारी के वेतन से की गयी। इस लापरवाही के लिए संबंधित कार्यालय अधीक्षक को दीर्घ दंड जारी किया गया।

अतः संबंधित कर्मचारी को दंड के कार्यान्वयन के संबंध में सतर्क रहना चाहिए।

6. स्थाई स्थानांतरण के उपरान्त रेलवे आवास रिक्त न करने के संबंध में निवारक जांच –

✍ **संजय कुमार वर्मा,** मुसतानि(इंजी.)/हाजीपुर

एक मामले की जांच के दौरान पाया गया कि एक रेलवे कर्मचारी के स्थानांतरण के बाद भी उसने बिना प्रशासनिक अनुमति के रेलवे क्वार्टर अपने पास रोके रखा। सामान्य किराया काटा गया और पुराने लाइसेंस शुल्क की दरों के अनुसार भी कटौती की गई।

मास्टर सर्कुलर नंबर 49 पैरा 10 (i) के अनुसार, एक रेलवे कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण होने पर आवास परिवर्तन की आवश्यकता होती है। स्थानांतरण के बाद दो महीने की अवधि के लिए पूर्व स्टेशन पर, सामान्य किराया या लाइसेंस शुल्क/किराए की एकल समान दर पर रेलवे आवास बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। शैक्षिक या बीमारी के कारण कर्मचारी के अनुरोध पर रेलवे आवास की प्रतिधारण अवधि छह महीने की अवधि के लिए सामान्य किराया विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अर्थात् लाइसेंस शुल्क/किराए की समान दर से दोगुनी दर पर बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त अवधि से आगे का विस्तार केवल शैक्षिक आधार पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र को कवर करने के लिए विशेष लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अनुमत/अनुमेय सीमा से परे दिया जा सकता है। हालाँकि, किसी अन्य आधार पर आगे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः इस संबंध में किसी भी अनुरोध या प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुमत अवधि से परे सभी कब्जों का आवंटन रद्द करने, कब्जे को अनधिकृत घोषित करने और बेदखली की कार्यवाही शुरू कर अधिक ठहराव के लिए क्षति किराया वसूलने की तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

जाँच के बाद, रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या (एक्स)आई–2002/11/2 दिनांक 26.12.2017 के अनुसार, क्षति किराया और लाइसेंस शुल्क की पुरानी दरों तथा लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों के बीच अंतर की वसूली के लिए संबंधित को पत्र लिखा गया था।

*

After preventive check, punishment was implemented as well as recovery of Rs.86,602 was made from charged official's salary. For this carelessness a major charge sheet has been issued to concerned office superintendent.

Hence, concerned official should be vigilant regarding implementation of Punishment.

6. Preventive check conducted regarding non vacation of railway accommodation after being transferred:-

✍ **Sanjay Kumar Verma, CVI/Engg/HJP**

On investigation of a case it was found that even after transfer of a Railway employee, he retained Railway quarter without administrative permission, normal rent was deducted and it was deducted as per rates of old licence fee also.

As per master circular No. 49 Para 10(i) A Railway employee on transfer from one station to another which necessitates change of residence may be permitted to retain the Railway accommodation at the former station of posting for a period of two months on payment of normal rent or single flat rate of licence fee/rent. On request of the employee, on educational or sickness account, the period of retention of Railway accommodation may be extended for a period of six months on payment of special licence fee, i.e. double the flat rate of licence fee/rent. Further extension beyond the aforesaid period may be granted on educational ground only to cover the current academic session on payment of special licence fee, beyond the permitted/permissible limits. However, no further extension will be allowed on any ground whatever. Therefore, no request or representation on this score shall be entertained. For all occupations beyond the permitted period, immediate action should be taken to cancel the allotment, declare the occupation as unauthorised and initiate eviction proceedings, charging damage rent for the over stay.

After investigation a letter was sent to the concerned for recovery of damage rent and also the difference between old rates licence fee and revised rates of licence fee as per RB letter No. F(X)I-2002/11/2 dated 26.12.2017.

*

केस अध्ययन

भंडार एवं चिकित्सा

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का ट्रैप।

✍ **अजीत कुमार,** मुसतानि/भंडार /पूमरे

आरआरसी, पटना द्वारा एल–1 पद के लिए चुने गए एक उम्मीदवार से एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई कि जब वह अपनी मेडिकल जाँच के सिलसिले में एक मंडल रेलवे अस्पताल का दौरा किया, तो अस्पताल के एक कर्मी ने उपरोक्त मेडिकल परीक्षा में फिटनेस प्राप्त करने के लिए उनसे रिश्वत के रूप में रुपये 3000 (तीन हजार) की मांग की। उक्त दोषी कर्मी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। ट्रैप से पहले, आईआरवीएम–2018 के पैरा 518 में निर्धारित सभी औपचारिकताओं को सुनिश्चित किया गया। इस क्रम में जाँच दल ने स्वतंत्र गवाहों और शिकायतकर्ता की उपस्थिति में ट्रैप के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले जी.सी. नोटों की सरकारी मुद्रा, विशिष्ट संख्या का उल्लेख करते हुए एक प्री ट्रैप ज्ञापन तैयार किया गया।

ट्रैप के दौरान, शिकायतकर्ता और स्वतंत्र गवाहों द्वारा यह देखा गया कि अस्पताल के मुख्य चिकत्सा अधीक्षक या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधीनस्थ एच.ए. के माध्यम से एल–1 पद के उम्मीदवारों से रिश्वत की मांग करने और उन्हें स्वीकार करने में संलिप्त थे। ये लोग प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (आईएमई) की प्रक्रिया में तेजी लाने और उन्हें उसमें फिट घोषित करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से रुपये 3000 की रिश्वत वसूल कर रहे थे।

जाँच दल व स्वतंत्र गवाहों ने पाया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अभ्यर्थियों से प्राप्त धनराशि को अपने बैग में रख लिया है और फिर उक्त बैग को उसने अपने अधीनस्थ एच.ए. की मदद से अपनी कार में रख लिया और कार को पूरी तरह से खुद लॉक कर उसकी चाभी अपने पास रख लिया है। ठीक इसी समय जाँच दल ने स्वतंत्र गवाहों ने सीएमएस को चुनौती दी और कार के गेट को खोलने को कहा। कार का गेट खोले जाने पर जाँच दल ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त बैग को बरामद कर लिया। बैग में कुल 1,13,000.00 रुपये पाए गए जिसे जाँच दल ने जब्त कर लिया। उक्त मुख्य चिकत्सा अधीक्षक ने मौके पर ही उक्त अवैध राशि को अभ्यर्थियों से अवैध परितुष्टि के रूप में उनके द्वारा लिया जाना स्वीकार किया था, जिसमें कथित शिकायतकर्ता से अवैध परितुष्टि की मांग और स्वीकृति भी शामिल थी। मिलान करने पर जब्त किये गए जी.सी. नोटों की विशिष्ट संख्या, नोटों के मूल्य और

मात्रा पूरी तरह से प्री–ट्रैप ज्ञापन में दर्ज नोटों की विशिष्ट संख्या, नोटों के मूल्य और मात्रा पूरी तरह से मेल खा गए जिसे स्वतंत्र गवाहों, शिकायतकर्ता, अस्पताल के एच.ए. और अन्य ने Witness किया। संबंधित मंडल रेल प्रबंधक को भी ट्रैप के बारे में जानकारी दी गई जो स्वयं व्यक्तिगत रूप से ट्रैप कार्यवाही की गवाही हेतु संबंधित मंडल कार्मिक अधिकारी और अपर मंडल रेल प्रबंधक के साथ घटना स्थल पर मौजूद रहे ।

2. मेडिकल क्षतिपूर्ति के मामले में अनियमितता

✍ **अजीत कुमार,** मुसतानि / भंडार / पूमर

पूर्व मध्य रेल के एक अस्पताल में मेडिकल क्षतिपूर्ति के मामले में एक निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारी ने JPO में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। मेडिकल क्षतिपूर्ति के मामलों को संबंधित व्यवहार कार्यालयी प्राप्ति तथा प्रेषण को प्रतिदिन यह कहकर प्राप्त करने से इंकार कर दिया करते थे कि मामलों को एक साथ जमा कर उन्हें सुपूर्द कराया जाए। मेडिकल क्षतिपूर्ति से संबंधित रजिस्टर को भी जे.पी.ओ. में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था। प्रावधानों के अनुसार सभी कागजातों को चेक लिस्ट के अनुरूप पाए जाने पर क्षतिपूर्ति का निबंधन कर संबंधित कर्मचारी को सूचित करना तथा पूरी प्रक्रिया को 90 दिनों के अंदर पूरा करना नहीं पाया गया। बार–बार एक ही मामले में अलग–अलग कागजातों की माँग की गई थी जिससे मामले को निपटाने में अत्यधिक देरी हुई।

एक मामले में व्यवहार कार्यालयी द्वारा अधिकारी को नोट प्रस्तुत करने में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ तक कि मरीज द्वारा कराए गए ईलाज का दिनांक भी गलत लिखा गया था। संबधित डॉक्टर द्वारा मेडिकल क्षतिपूर्ति को इमरजेंसी सर्टिफाई नहीं करने का कोई कारण नहीं दिया गया था। संबंधित व्यवहार कार्यालयी ने दावा रिजेक्ट होने के उपरांत दो महीने बीत जाने तक भी संबंधित कर्मचारी को सूचित नहीं किया था।

जाँच के दौरान एक शिकायतकर्ता ने संबंधित व्यवहार कार्यालयी से बातचीत का ऑडियो क्लिप प्रस्तुत किया जिसमे संबंधित व्यवहार कार्यालयी ने मेडिकल क्षतिपूर्ति को पास करने तथा अधिक पैसे दिलवाने के एवज में एक लाख रुपए की मांग की थी। बातचीत में यह कहा गया था कि आपको फर्जी बिल देने होंगे तथा कागजात बदलने होंगे जिससे आपका अधिक मेडिकल क्षतिपूर्ति मिल सके। संबंधित व्यवहार कार्यालयी को जब स्पस्टीकरण के लिए बुलाया गया तो उसने उक्त ऑडियो क्लिप को सुन कर अपनी गलती को स्वीकार कर ली। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने संबंधित कर्मचारी से

इमरजेंसी सर्टिफाई कराने तथा फर्जी बिल लगाने के लिए पैसे किस्तों में मांगे थे, लेकिन कर्मचारी ने नहीं दिया था।

संबंधित व्यवहार कार्यालयी के विरुद्ध सतर्कता अनुशासन व अपील नियम के अन्तर्गत दीर्घ दंड शास्ति की अनुशंसा की गई है।

3. स्क्रैप सामग्री के परिदान में अनियमितता

✍ **शैलेन्द्र कुमार,** मुसतानि/भंडार/पूमरे

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्क्रैप ब्रेक ब्लॉक के परिदान के दौरान सतर्कता दल ने देखा कि इश्यू नोट के अनुसार ट्रक पर कुल 9.970 मिट्रिक टन स्क्रैप लदा था। परन्तु सतर्कता दल ने ट्रक को खाली करवाया तो पाया कि उक्त ट्रक में इश्यू नोट में वर्णित स्क्रैप ब्रेक ब्लॉक के अलावा अन्य दूसरे स्क्रैप जैसे कि ई. एम. पैड और मिसलेनियस एम. एस. स्क्रैप को भी अवैध तरीके से रखा गया था, जिसका बिक्री दर स्क्रैप ब्रेक ब्लॉक के बिक्री दर के दुगुना से भी ज्यादा था। उक्त ट्रक में ई. एम. पैड–1470 किलोग्राम तथा मिसलेनियस एम.एस. स्क्रैप–295 किलोग्राम लादा गया था जिसका कुल अनुमानित मूल्य रुपये 61,278/– था।

परिदान के दौरान अवैध तरीका अपनाकर स्क्रैप का गबन करने में स्क्रैप के कस्टोडियन, स्टॉक वेरिफायर और आर. पी. एफ. के सब इंस्पेक्टर संलिप्त पाए गए जिन्हें तुरन्त प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन व अपील नियमों के अन्तर्गत कार्यवाई प्रकियाधीन है।

4. नीलामी के क्रम में स्क्रैप सामग्री का आरक्षित मूल्य तय करने में अनियमितता

✍ **शैलेन्द्र कुमार,** मुसतानि/भंडार

स्रोत सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में नीलामी के दौरान स्क्रैप सामग्रियों के आरक्षित मूल्य तय करने के पहलू पर निवारक जाँच की गइ। इस दौरान निम्न विसंगतियाँ पायी गईं :–

1. चौदह दिनों की समयावधि में स्क्रैप डीजल लोको का आरक्षित मूल्य अप्रत्याशित रूप से 11.66 प्रतिशत कम कर दिया गया था। जबकि पूर्व के दो दौरों के नीलामी में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी। परन्तु जैसे ही स्क्रैप डीजल लोको का आरक्षित मूल्य 11.66 प्रतिशत कम किया गया, नीलामी के दौरान एक क्रेता के द्वारा आरक्षित मूल्य से मात्र 9 रुपये ज्यादा की बोली लगाई गई और उक्त क्रेता को उक्त डीजल लोको की बिक्री कर दी गई।

2. स्क्रैप डीजल लोको के मामले में आरक्षित मूल्य तय करते समय न तो अपने मंडल के नीलामी दर पर विचार किया गया न ही अपने रेलवे नीलामी दर पर और तो और आरक्षित मूल्य अन्य रेलवे की औसत नीलामी दर के आधार पर तय किया गया जो या तो बिना फिटिंग के बेचा गया था या कम वज़न था।

3. आगे की जाँच में एक अन्य सामग्री स्क्रैप बर्न सिग्नलिंग केबल का मात्र 8 दिनों की समयावधि में आरक्षित मूल्य अप्रत्याशित रूप से 45.33 प्रतिशत कम किया जाना पाया गया। स्क्रैप बर्न सिग्नलिंग केबल का आरक्षित मूल्य 33 महीने पुराने कॉपर स्क्रैप के बिक्री दर तथा 23 महीने पुराने फेरस स्क्रैप के बिक्री दर के आधार पर तय किया गया था।

उपरोक्त मामलों की सतर्कता जाँच प्रकियाधीन है।

5. आवश्यक मेडिकल उपकरणों की कमी के बावजूद पी.एम.ई. का संचालन

✍ **रमन तिवारी,** मुसतानि / चिकित्सा

पूर्व मध्य रेल के एक स्वास्थ्य इकाई में सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्तं इकाई में चिकित्सा जांच के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, उपकरण और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है, फिर भी पी.एम.ई. (आवधिक चिकित्सा जाँच) का लगातार संचालन हो रहा था और ए–2 श्रेणी में उपयुक्तता प्रमाण पत्र धड़ल्ले से जारी किये जा रहे थे। उस इकाई में न तो कोई रेडियोग्राफर था, न हीं कोई लैब तकनीशियन तैनात पाए गए ताकि आवश्यकतानुसार एक्स–रे, मूत्र परीक्षण और ईसीजी की जाँच सम्पादित हो सके।

स्वास्थ्य कर्मियों एवं मेडिकल उपकरणों की कमी के बावजूद, उक्त स्वास्थ्य इकाई द्वारा पी.एम.ई. आयोजित किया जा रहा था और ए–2 एवं निम्नतर श्रेणियों में उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे, इस तरह भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पर्याप्त परीक्षण के बिना सेफ्टी कैटेगरी में भी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का मामला उजागर हुआ जो कि रेलवे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

उपरोक्त विसंगतियों के निवारण हेतु प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक को सलाह दिया गया है कि पूर्व मध्य रेल के ऐसे सभी स्वास्थ्य इकाइयों और अस्पतालों में पी.एम.ई. आयोजित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए और तब तक इस तरह के कार्य प्रणाली पर तुरंत रोक लगाई जाए।

पी.एम.ई. के प्रावधानों को सुनिश्चित करने में विफल रहने वाले उक्त चिकित्सक के विरूद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है।

*

केस अध्ययन

संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक

1. रनिंग रूम के हाउस कीपिंग कार्य में अनियमितता

✍ **रंजीतकुमार,** मुसतानि/विद्युत/पूमरे

02 वर्षों के लिए रनिंग रूम की गतिविधियों (हाउसकीपिग, मेसिंग, लिनन की धुलाई और इच्छुक रहने वालों को सब्सिडी वाले भोजन का प्रावधान सहित) की आउट सोर्सिंग के निष्पादन के पहलू पर पूमरे के एक मंडल में एक निवारक जांच की गई थी।

जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

(i) सभी कमरे, डाईनिंग हॉल, प्रयोगशाला, स्नान कक्ष, वॉशबेसिन, रसोई संतोषजनक पाए गए परन्तु पूरे सर्कुलेटिंग एरिया की सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई।

(ii) गार्डन की सफाई और रख–रखाव संतोषजनक नहीं पाया गया।

(iii) 06 कर्मचारी आई.डी. के साथ पाए गए तथा एक को छोड़कर सभी कर्मचारी बिना वर्दी के पाए गए और जांच के दौरान माली ड्यूटी पर नहीं पाया गया।

(iv) जाँच के दौरान 10 संविदा कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र मिला लेकिन सभी प्रमाण पत्र अमान्य थे।

(v) बिस्तर की चादर और तकिये के कवर की सफाई संतोषजनक नहीं पाई गई।

(vi) उपरोक्त विसंगतियों के लिए फर्म पर 10500/– रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

(vii) पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र सुनिश्चित नहीं करने के लिए एक कर्मचारी के खिलाफ दीर्घ दंड कार्यवाही शुरू की गई है।

*

Case Study

S & T, Electrical and Mechanical

1. Irregularities in house keeping work of running room.

✍ **Ranjeet Kumar, CVI/Elect./ECR**

A preventive check was conducted in one division of ECR on the aspect of execution of out sourcing of running room activities (including Housekeeping, Messing, Linen washing and provision of subsidized meals to willing occupant) of running room for 02 years.

During check following irregularities were observed:-

(i) All the Rooms, dining hall, Laboratory, Bath Room, Wash basin, Kitchen found satisfactory and cleaning of entire circulating area found not satisfactory.

(ii) Cleaning and maintenance of Garden found not satisfactory.

(iii) 06 staff found with ID except one and all staff found without uniform and during check Gardener was not found.

(iv) Police verification certificate of 10 contractual staffs found during check but all certificates was invalid.

(v) Cleaning of bed sheet and pillow cover found not satisfactory.

(vi) A penalty of Rs 10500/-has been initiated to impos on firm for the above anomalies.

(vii) Major penalty proceedings against one official has been initiated for not ensuring Police verification certificate.

*

2. रेलकर्मचारी द्वारा HRA का अवैध दावा।

✍ **रणविजय कुमार,** (मुसतानि/एस.एण्ड टी./हाजीपुर)

एक सतर्कता जांच में पाया गया कि एक रेलवे डिपो के प्रथम तल पर स्थित एक कमरा में एक रेलवे कर्मचारी स्थायी तौर पर जनवरी, 2021 से जुलाई, 2022 तक रहते थे, वही खाना बनाते थे और वही से कार्यालय कार्य हेतु बाहर जाते थे। इस दौरान इन्होंने रेलवे से प्रतिमाह मकान किराया भत्ता भी लिया है। इस प्रकार इस रेलवे कर्मचारी ने रेलवे परिसर में एक कमरे को आवास के रूप में उपयोग करके अपने लिए वित्तीय लाभ प्राप्त किया जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 के पैरा 3–(1) (xv) का उल्लंघन है।

अतः इन से जनवरी, 2021 से जुलाई, 2022 तक 19 महीने का कुल मकान किराया भत्ता 38,502 (अड़तीस हजार पाँच सौ दो) रुपए की वसूली की गई है और इन्हें एक दीर्घ दंड आरोपपत्र भी जारी किया गया है।

3. 8 कि.मी. से कम दूरी की यात्रा हेतु यात्रा भत्ता का दावा

✍ **रणविजय कुमार,** (मुसतानि/एस.एण्ड टी./हाजीपुर)

एक सतर्कता जांच में पाया गया कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच चेनेज के हिसाब से दूरी 7.27 कि.मी. है और गूगल मैप पर यह दूरी 7.5 कि.मी. ही है, जो 8 कि.मी. से कम है। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के अध्याय–16 के पैरा–1614(1) के अनुसार, "दैनिक भत्ता (भारतीय रेल में यात्रा भत्ता के रूप में लोकप्रिय) एक रेलवे कर्मचारी द्वारा लिया जा सकता है, जिसे किसी भी दिन स्थायी यात्रा भत्ता नहीं मिल रहा है और वह अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर के दायरे से बाहर कार्यालय काम पर निकलते हैं या समान दूरी से अपने मुख्यालय लौटता है"।

परन्तु इस स्टेशन पर काम करने वाले 18 कर्मचारियों ने इन दोनों स्टेशनों के लिए यात्रा भत्ता का दावा किया गया है, जो कि 8 कि.मी. से कम है। इसलिए, उनके वेतन से कुल 57,940/– रुपये की वसूली की गई है और सभी 18 कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा ''रिकॉर्डेड चेतावनी'' भी जारी की गई है।

2. Illegal claim of HRA by Railway Staff.

✍ **Ran Vijay Kumar (CVI/S&T/HJP)**

It is found in a vigilance investigation that a room located on the first floor of a railway depot, was permanently occupied by a railway employee from January, 2021 to July, 2022. He cooked food there and went out for office work from there. During this period, he has also taken house rent allowance (HRA) per month from the Railway. Thus, this Railway employee obtained financial benefit for himself by using a room in the Railway premises as a residence which is in violation of Para-3 (1) (xv) of RS(C) R, 1966.

Therefore, a total house rent allowance of **Rs 38,502/-** (Thirty Eight Thousand Five Hundred and Two) only for 19 months from January, 2021 to July, 2022 has been recovered from him and a Major Penalty Charge Sheet has also been issued to him.

3. Wrong claim of TA for distance less than 8 km.

✍ **Ran Vijay Kumar (CVI/S&T/HJP)**

It is observed in a vigilance investigation that the chainage wise distance between two Railway stations 7.27 Km and by Google map this distance is 7.5 Km only which is less than 8 Km. As per para-1614(1) of chapter-16 of Indian Railway Establishment Code, "Daily allowance (Popularly known as TA in IR) may be drawn by a Railway servant who is not in receipt of a permanent travelling allowance on any day on which he proceeds on tour beyond a radius of 8 Kms. from his headquarter or returns to his headquarter from a similar distance.

However, 18 staffs working on this station have been claimed TA for these two stations, which is less than 8 Km. Therefore, total **Rs.57,940/-** has been recovered from their salaries and also issued "Recorded Warning" to all the 18 staffs by competent authority.

4. एस एण्ड टी भंडार की जाँच एवं अनियमितताएं

✍ **रामअनुज वर्मा,** (मुसतानि/एस.एण्ड टी./हाजीपुर)

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल के एस एण्ड टी भंडार के एक डिपो की सतर्कता जाँच की गई जिसमें निम्न अनियमितताएं पायी गईं।

- न तो लेखा पुस्तिका ठीक ढंग से भरी हुई थी और न ही डी.एम.टी.आर. भरा हुआ था। कुछ मदों का लेन–देन सिर्फ चालान एवं निजी डायरी में लिखकर किया गया था।
- ई सामग्रियों का लेजर बैलेंस तथा वास्तविक बैलेंस में भिन्नता पायी गई।
- एक ही सामग्री को कई लेजर में लिया गया था जबकि उनका भंडारण लेजर के अनुरूप नहीं किया था।
- एस एण्ड टी भंडार का भंडारण सत्यापन वर्ष 2015 से नहीं हुआ था जो भारतीय रेल भंडार संहिता के पैरा 3201 एवं 3202 का उल्लंघन है।

उपर्युक्त अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार रेलकर्मचारी के विरुद्ध डी एण्ड ए आर कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।

*

''मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि देश के भ्रष्टाचार मुक्त होने और सुन्दर मस्तिष्कों का राष्ट्र बनने के लिए तीन मुख्य सामाजिक सदस्य हैं जो कि बदलाव लेकर आ सकते हैं, और वे हैं... माता, पिता और शिक्षक

– ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

4. Checks of S&T stores and its irregularities

✍ **Ram AnujVerma,** Chief Vigilance Inspector/S&T

Vigilance check of a depot of S&T stores of a division of East Central Railway was conducted in which the following irregularities were found.

- Neither the account book was filled properly nor the DMTR filled up to date. Transactions of some items were done only through challan and writing in personal diary.
- Differences were found between E-ledger balance and actual balance of many materials.
- Same material was taken in multiple lasers while their stocking was not as per ledgers.
- Storage verification of S&T stores was not done since the year 2015, which is a violation of Para 3201 and 3202 of the Indian Railway Code for store department.

D&AR action has been recommended against the railway employee responsible for the above irregularities.

*

बुकिंग कार्यालय में
अद्यतन किराया सूची प्रदर्शित करें
और सुनिश्चित करें कि
टिकट काउंटर पर किराया संकेत बोर्ड
काम करने की स्थिति में है।

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–**11 / 2022**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.– ईसीआर / विज / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 25.11.2022

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक
और
प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : स्टॉक सामग्रियों के विवरण का नियमित अद्यतनीकरण हेतु प्रणाली में सुधार।

***

स्टॉक आइटम की खरीद से संबंधित मामले की सतर्कता जांच के दौरान, यह पाया गया कि सामग्री की मांग विनिर्देश के पुराने परिवर्तन पर तैयार की गई थी, हालांकि नवीनतम परिवर्तन आईसीएफ द्वारा पहले ही मंजूरी दिनांक 17.05.2016 को दे दी गई थी। परिणामस्वरूप कुछ आपूर्तिकर्ता ने पुराने परिवर्तन के साथ दर उद्धृत की तथा कुछ आपूर्तिकर्ता ने नए परिवर्तन के साथ। किसी भी पीएल के सामग्री विवरण का समय पर अद्यतनीकरण निविदा को अंतिम रूप देते समय परेशानी से बचने में मदद कर सकता है।

अतः अनुरोध है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक निर्देश / दिशानिर्देश जारी करें।

इस संबंध में जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को कृपया भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 11/2022

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Date: 25.11.2022

PCMM
&
PCME,
East Central Railway
Hajipur.

Sub:- System improvement regarding regular updation of description of stock items.

***

During the course of vigilance investigation of case pertaining to procurement of stock item, it has been observed that requisition of material was prepared upon old alteration of specification however latest alteration has already been approved by ICF on 17.05.2016. Hence, some of supplier had quoted the rate with old alteration and some supplier had quoted with new alteration. A timely updation of item description of any PL, may help in avoiding troublesome situation while finalizing the tender.

Hence, it is requested to issue necessary instruction/guideline to avoid such situation in future.

Action taken in this regard may please be appraised to this office.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–12/2022

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.– ईसीआर/विज/प्रणाली सुधार/50 दिनांक : 02.12.2022

प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : आईपीएएस के माध्यम से वसूली प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाने हेतु प्रणाली सुधार।

***

एक प्रतिष्ठान की दोहरी वसूली से संबंधित एक मामले की सतर्कता जांच के दौरान, यह पाया गया कि वसूली रजिस्टर मैन्युअल रूप से मेन्टेसन की जा रही है जबकि वसूली रजिस्टर को ऑनलाईन करने का प्रावधान आईपीएएस में उपलब्ध है। आईपीएएस मॉड्यूल में वसूली को फीड करने की प्रक्रिया पश्चिम रेलवे में पहले से ही प्रचलित है।

इसलिए, सभी लंबित वसूलियों और भविष्य की वसूली को एआईएमएस मॉड्यूल में दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है, ताकि संबंधित प्रतिष्ठानों से वसूली न किए जाने या दोहरी वसूली किए जाने की समस्या को खत्म किया जा सके।

भविष्य में उपरोक्त की पुनरावृत्ति रोकने हेतु उक्त प्रणाली सुधार सुझाव को सतर्कता के साथ लागू किया जाए। इस संबंध में जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को कृपया भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 12/2022

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Date: 02.12.2022

Principal Financial Adviser
East Central Railway
Hajipur.

Sub : System improvement to make recovery process online through IPAS.

***

During the course of vigilance investigation of a case pertaining to double recovery of a firm, it was found that the recovery register is still maintained manually, however provision for register the recoveries is available in IPAS.

The process of feeding the recoveries in IPAS module is already in vogue in WR. Hence, it is requested to enter the all pending recoveries and future recovery in AIMS module, which will eradicate the problem of non-recovery or double recovery from firms.

In order to prevent reoccurrence of the same in future, the system improvement suggestion may be implemented scrupulously. Action taken in this regard may please be appraised to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–13 / 2022

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 02.2.2022

प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : आईआरपीएसएम में निधियों का उचित परिव्यय सुनिश्चित करने और ईआरडब्ल्यू के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में सुधार।

***

2 वर्ष 11 माह से लंबित एक प्रतिष्ठान को भुगतान के मामले की सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि सामग्री ईआरडब्ल्यू (पर्यावरण संबंधी कार्य) के तहत जेम (GeM) के माध्यम से खरीदी गई थी। सामग्री की खरीद के लिए मंडल को धनराशि जारी तो की गई थी लेकिन अनुमान में उचित परिव्यय उपलब्ध नहीं था। खरीद के बाद पता चला कि उक्त मद में राशि नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका।

यह उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं–एफ. 6 / 18 / 2019–पीपीडी दिनांक 03.07.2020 और जीएफआर 2017 के नियम 149 के अनुसार, क्रेताओं द्वारा GeM में कंसाइनी प्राप्ति रसीद और स्वीकृति प्रमाण पत्र (सीआरएसी) को जारी किया जाए या स्वतः जारी होने के 10 कैलेंडर दिवसों के अन्दर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। क्रेताओं को भुगतान की निर्धारित समय सीमा से परे विलंबित भुगतान के लिए प्रति माह @1% दंडात्मक ब्याज के साथ भुगतान होता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि ईआरडब्ल्यू के अंतर्गत निधियों के वितरण से पूर्व आईआरपीएसएम में ईआरडब्ल्यू के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के साथ–साथ उचित परिव्यय सुनिश्चित किया जाए।

भविष्य में उपरोक्त की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त प्रणाली सुधार सुझाव को सतर्कता के साथ लागू किया जाए। इस संबंध में जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को कृपया भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / भंडार
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 13/2022

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Date: 02.12.2022

PCME
East Central Railway
Hajipur.

Sub : System improvement to ensure proper outlay of fund in IRPSM and ensure availability of fund under ERW.

***

During the course of vigilance investigation of case pertaining to pending of payment of firm, which was two years and 11 month old, it was found that the material was procured through GeM under ERW(environment related work). The fund was issued to Division for purchase of machine but proper outlay was not available in the estimate. After the purchase, it was detected that payment could not be made due to lack of fund in said head.

It is pertinent to mention that as per ministry of finance office memorandum No. F.6/18/2019-PPD dated 03.07.2020 & rule 149 of GFRs 2017, buyers are mandated to make payments within 10 calendar days after generation (including auto generation) of Consignee Receipt and Acceptance Certificate(CRAC) in the GeM. Thereafter, the buyer organization will be required to pay penal interest @ 1% per month for the delayed payment beyond the prescribed timeline till the date of such payment.

In view of above, it is suggested that before distribution of fund under ERW, it may be ensure from IRPSM that proper outlay may be available along with availability of fund under ERW.

In order to prevent reoccurrence of same in future, the system improvement suggestion may be implemented scrupulously. Action taken in this regard may please be appraised to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–14/2022

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50 | दिनांक : 20.12.2022

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : पार्सल कार्यालय/मुजफ्फरपुर में निवारक जांच।

***

पार्सल कार्यालय/मुजफ्फरपुर में पूर्व मध्य रेल की सतर्कता टीम द्वारा की गयी सतर्कता जांच के दौरान, यह देखा गया कि पार्सल कार्यालय/मुजफ्फरपुर के विभिन्न अनुभागों (आवक पार्सल, जावक पार्सल आदि) द्वारा अलग–अलग व्यक्तिगत नकदी रजिस्टर का रख रखाव किया जा रहा था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि व्यक्तिगत नकदी रजिस्टर को इस तरह से बनाये रखा जाना चाहिए कि स्टेशन की प्रत्येक इकाई जैसे आरक्षण कार्यालय/पीआरएस, बुकिंग कार्यालय/यूटीएस, पार्सल कार्यालय, गुड्स शेड और सीआईटी कार्यालय में एक ही व्यक्तिगत नकदी रजिस्टर हो। एक ही इकाई के विभिन्न अनुभागों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत नकदी रजिस्टर रखने से ड्यूटी लेने से पहले व्यक्तिगत नकदी की घोषणा का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योकि इसके कारण पारदर्शिता और निरंतरता के उल्लंघन की संभावना है।

उपरोक्त के आलोक में, इकाईवार व्यक्तिगत नकदी रजिस्टर बनाये रखने के लिए पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी करने का अनुरोध किया गया है।

(बी. एन. लाल)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 14/2022

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Date: 20.12.2022

Principal Chief Commercial Manager
East Central Railway
Hajipur.

Sub : Preventive check conduct at parcel office/MFP.

***

In course of a vigilance check conducted by vigilance team of ECR at Parcel office/MFP on 08.09.2022, it was noticed that separate personal cash register was being maintained by different section of Parcel Office/MFP (In ward parcel, out ward parcel etc.). It is pertinent to mention here that the personal cash register should be maintained in such a way that every unit of a station such as Reservation Office/PRS, Booking Office/UTS, Parcel Office, Goods Shed, and CIT Office has one separate personal cash register. Keeping separate personal cash register for different sections of one unit will defeat the very purpose of declaration of personal cash before taking up of duty as due to this there is probability of breaching transparency and continuity.

In light of the above, it is requested to issue a System Improvement letter (SIL) to all divisions of ECR to maintain unit wise personal cash register.

(B.N. Lal)
Dy. Chief Vigilance Officer (T)
For General Manager (Vig)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–01/2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50 दिनांक : 20.01.2023

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर एवं दक्षिण
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट
पटना।

विषय : मिट्टी की भराई कार्य एवं ब्लैंकेटिंग कार्य हेतु प्रारंभिक लेवल का रिकॉर्ड सतर्कता संगठन को भेजने के संबंध में प्रणाली में सुधार।

***

कार्यों और सामग्रियों के लिए एकीकृत मानक विनिर्देशों के अनुसार, मिट्टी की भराई के काम और ब्लैंकेटिंग कार्य की माप तैयार क्रॉस सेक्शनों के आधार पर सम्पादित की जानी चाहिए। इस प्रकार, भुगतान के प्रयोजन के लिए मिट्टी की भराई के काम और ब्लैंकेटिंग कार्य की सटीक निष्पादित मात्रा का पता लगाने के लिए मिट्टी के काम और ब्लैंकेटिंग के काम के प्रारंभिक लेवल और अंतिम लेवल के रिकॉर्ड आवश्यक हैं। सब वेस में मिट्टी के विभिन्न श्रेणी वेस और परिभाषित मोटाई उपलब्ध की जाती है। सब ग्रेड और गिट्टी के बीच पूरी चौड़ाई पर विनिर्दिष्ट ब्लैंकेट परत, दानेदार सामग्री की डिजाईन की गई मोटाई प्रदान की जाती है।

जाँच के दौरान, मिट्टी की भराई के कार्य एवं ब्लैंकेटिंग कार्य के मामले में मोटाई/मापों/लेवलों में अनियमितता पायी गयी है। ब्लैंकेट सामग्री मिट्टी भराई के कार्य की तुलना में बहुत महँगी मद है। निष्पादन के बाद, मिट्टी भराई के काम और ब्लैंकेट के प्रारंभिक लेवल की प्रामाणिकता को सत्यापित करना संभव नहीं है। अतः बाद के चरण में हेराफेरी की पूरी संभावना रहती है।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 01/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 20.01.2023

Principal Chief Engineer,
E.C.Railway, Hajipur.

CAO/Con/North &South
E.C.Railway, Mahendrughat
Patna.

Sub : System improvement regarding sending record of initial levels to Vigilance Organization for earthwork and blanketing work.

***

As per Unified Standard Specifications for Works & Materials, the measurement of earthwork and blanketing work should be done on the basis of finished cross sections. Thus, records of initial levels and final levels of earthwork and blanketing work are essential to work out the exact executed quantity of earthwork and blanketing work for the purpose of payment. Soil of different category and defined thickness is provided over sub base. Blanket layer of specified coarse, granular material of designed thickness is provided over full width of formation between sub grade and ballast.

During investigation, irregularities in thickness / measurements/levels have been observed in the case of earthwork and blanketing work. Blanket material is a much costlier item than the earthwork. After execution, it is not possible to verify the authenticity of initial levels of earthwork and blanket. Therefore, there is every possibility of manipulation at later stage.

इसलिए, उचित माप सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, मिट्टी भराई के कार्य और ब्लैंकेटिंग सामग्री के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया गया है–

''मिट्टी भराई के काम और ब्लैंकेटिंग कार्य के प्रारंभिक लेवल के रिकॉर्ड, सतर्कता संगठन को दिए जाने चाहिए। सतर्कता को रिकॉर्ड भेजने के बाद, मिट्टी भराई के काम शुरू करने से पहले 15 दिनों का इंतजार करना चाहिए और ठेकेदार द्वारा ब्लैंकेटिंग कार्य शुरू करने से पहले 07 दिनों का इंतजार करना चाहिए।''

उपरोक्त के दृष्टिगत, मिट्टी भराई के कार्य एवं ब्लैंकेटिंग कार्य हेतु प्रारंभिक लेवल का रिकार्ड सतर्कता संगठन को भेजने के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु भेजी जा सकती है।

(सुमन भारती)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

बुकिंग कार्यालय में
अद्यतन किराया सूची प्रदर्शित करें और
सुनिश्चित करें कि
टिकट काउंटर पर किराया संकेत बोर्ड
काम करने की स्थिति में है।

Therefore, in order to ensure proper measurement and to improve transparency, following system improvement is suggested in connection with execution of earthwork and blanket material-

“Records of initial levels of earth work & blanketing work should be given to Vigilance Organization. After sending records to the vigilance, a waiting time of 15 days should be kept before start of earthwork and 07 days should be kept before start of blanketing work by the contractor”.

In view of the above, it is requested to issue a system improvement letter regarding sending record of initial levels to Vigilance Organization for earthwork and blanketing work.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Suman Bharti)
Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

Truth can be stated in a thousand different ways yet each one can be true.
– Swami Vivekanand

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–02/2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50 दिनांक : 24.01.2023

प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर एवं दक्षिण
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट
पटना।

विषय : सतर्कता संगठन को ''जमीन के प्रारंभिक लेवल एवं सेस सप्लाई में गिट्टी के ढेरों की माप'' के रिकार्ड भेजने के संबंध में प्रणाली सुधार।

***

पूर्व मध्य रेल में यह देखा गया है कि अधिकारियों द्वारा संविदा प्रणाली के माध्यम से गिट्टी की आपूर्ति सेस पर ली जा रही है, लेकिन जमीन का प्रारंभिक लेवल जहां गिट्टी का ढेर लगाया जाना है और गिट्टी के ढेर का माप सतर्कता संगठन को नहीं भेजा जा रहा है, जबकि ये केवल डिपो आपूर्ति में प्रचलित है।

इसलिए, उचित माप सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार के लिए गिट्टी की आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित सुधार का सुझाव दिया गया हैः–
''जमीन के प्रारंभिक लेवल के रिकॉर्ड और गिट्टी के ढेरों की माप सतर्कता संगठन को भेजा जाना चाहिए। प्रारंभिक लेवल के रिकॉर्ड भेजने के बाद 15 दिनों का प्रतीक्षा समय रखा जाना चाहिए और ठेकेदार द्वारा गिट्टी के ढेर की मापी और गिट्टी का फैलाव करने के बीच 15 दिनों का प्रतीक्षा समय रखा जाना चाहिए''।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सेस पर गिट्‌टी की आपूर्ति में जमीन के प्रारंभिक लेवल और गिट्टी के ढेर के माप के रिकॉर्ड, सतर्कता संगठन को भेजने के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं रिकार्ड हेतु भेजी जा सकती है।

(सुमन भारती)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 02/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 24.01.2023

Principal Chief Engineer,
E.C.Railway, Hajipur.

CAO/Con/North &South
E.C.Railway,
Mahendrughat, Patna.

Sub : System Improvement regarding sending records of "Initial level of ground and measurement of stacks of ballast in cess supply" to Vigilance Organization.

***

It is seen that in ECR, cess supply of ballast is being taken by executives through Contractual System but initial level of ground where ballast is to stacked and measurement of ballast stacks are not being sent to Vigilance Organization whereas these are in vogue in depot supply only.

Therefore, in order to ensure proper measurement and to improve transparency following improvement is suggested in connection with execution of cess supply of ballast.

"Sending of records of initial level of ground and measurement of stacks of ballast should be sent to Vigilance Organization, a waiting time of 15 days should be kept after sending the records of Initial level and a waiting time of 15 days should be kept between measurement of stacks of ballast and spreading of ballast by the contractor".

In view of the above, it is requested to issue a system improvement letter regarding sending records of initial level of ground and measurement of stacks of ballast in cess supply to Vigilance Organization.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Suman Bharti)
Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–03/2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50 दिनांक : 08.02.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय :– नियुक्ति/विभागीय, पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच आदि के लिए आयोजित परीक्षाओं के दौरान परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री लाने हेतु मनाही के संबंध में।

***

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में विभागीय पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच हेतु जारी अधिसूचना अथवा बुलावा पत्र में प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा कक्ष में लाने की मनाही का उल्लेख नहीं रहने से संबंधित मामला सतर्कता विभाग के संज्ञान में आया है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले सभी विभागीय पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच, नियुक्ति आदि के लिये आयोजित परीक्षाओ के लिए जारी अधिसूचना अथवा परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि परीक्षा के दौरान परीक्षा परिसर के अन्दर बैग, किताबें, नोटबुक, कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, हेडफोन, बटनहोल कैमरा, स्केनर स्टोरेज डिवाइस, ब्लू टूथ व अन्य इलेक्ट्रानिक गैजेट आदि वर्जित और प्रतिबंधित है। किसी भी उम्मीदवार/परीक्षार्थी के पास उपरोक्त वर्णित सामग्री पाए जाने पर अभ्यर्थिता रद्द करने के साथ–साथ उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

G20 भारत 2023 INDIA

पूर्व मध्य रेल

Azadi Ka Amrit Mahotsav

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

पिडपी क्या है ?

- ★ पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है।
- ★ इसके अंतर्गत दर्ज की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्त्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पिडपी शिकायत कैसे की जाती है ?

- ★ सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफाफे पर ''पिडपी'' लिखा होना चाहिए।
- ★ शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं लिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- ★ जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित है या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है।
- ★ शिकायते खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- ★ शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं करने चाहिए अथवा उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जैसे: आर.टी.आई के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज।
- ★ लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता पुष्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए।
- ★ जिन शिकायतों की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- ★ अनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए
http://www.cvc.gov.in को देख सकते है।

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–**05 / 2023**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 02.03.2023

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / उत्तर एवं दक्षिण
पूर्व मध्य रेल,
महेन्द्रूघाट
पटना।

विषयः निविदा अनुसूची में सभी वस्तुओं विशेषकर गैर–अनुसूची वस्तुओं के पूर्ण विनिर्देश / आकार / मोटाई आदि का प्रावधान सुनिश्चित करने के संबंध में प्रणाली सुधार।

***

एक मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि निविदा अनुसूची में सभी वस्तुओं विशेषकर गैर–अनुसूचित वस्तुओं की अनुसूची के पूर्ण विनिर्देश / आकार, मोटाई / पूर्ण विवरण का उचित उल्लेख नहीं किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध किया जाता है कि निविदा अनुसूची में सभी वस्तुओं विशेषकर गैर–अनुसूचित वस्तुओं के पूर्ण विनिर्देश / आकार / मोटाई / पूर्ण विवरण का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करें, ताकि निविदा प्रक्रिया में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न हो और निविदा प्रणाली प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए।

(सुमन भारती)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 05/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 02.03.2023

Principal Chief Engineer
East Central Railway
Hajipur.

CAO/Con/North & South,
East Central Railway
Mahendrughat
Patna.

Sub:- System Improvement regarding ensuring provision of full specification/size/thickness etc. of all items especially Non-schedule items in tender schedule.

***

During investigation of a case, it was found that the full specification/ size, thickness/ full description of all items especially Non-scheduled items schedule were not mentioned properly in the tender schedule.

In view of above, you are requested to issue a system improvement letter to all concerned for ensuring provision of full specification/ size/ thickness/ full description of all items especially Non-scheduled items in tender schedule, so that there is no scope of ambiguity and transparency may be ensured in the tendering process.

A copy of instruction issued may please be sent to this office for information and record please.

(Suman Bharti)
Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–05A / 2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 28.02.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय– सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि से संबंधित प्रणाली सुधार पत्र ।

***

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में जाँच के दौरान पाया गया कि सेवा पुस्तिका प्रविष्टि उसके अनक्रमणिका (इंडेक्स) में वर्णित पेज संख्या के अनुसार नहीं किया जा रहा है। पुनः यह भी देखा गया है कि उस सेवा पुस्तिका में कर्मचारी का फोटोग्राफ एवं अँगुली का चिन्ह् (फिंगरप्रिंट) भी नहीं था। ऐसा संभव है कि ऐसी अनियमितता अन्य सेवा पुस्तिकाओं में भी हो।

अतः मामले को संज्ञान में रखकर यह अनुशंसा की जाती है कि एक प्रणाली सुधार पत्र इस संबंध में जारी किया जाये ताकि भविष्य में सेवा पुंस्तिका में आगामी सभी प्रविष्टियां अनुक्रमणिका (इंडेक्स) में वर्णित पेज संख्या के अनुसार किया जाये ।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 05A/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated 28.02.2023

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway
Hajipur.

Sub :- System improvement regarding entries in Service Book.

***

During Preventive Check in an office of East Central Railway, it is found that entries in service book were not done as per the page number given in the index page of that service book. It is further seen that the photographs and fingerprints impression of the employee was also missing in the service book. It could be possible that the same abnormality might be seen in other service books also.

Hence, it is suggested that a system improvement letter may be issued in this regard so that all upcoming entries should be made in the relevant pages as per index of the service book.

This issued with the approval of the SDGM/ECR/HJP.

(Ujjawal Anand)
Dy. Chief Vigilance Officer/A&P
For GM/Vigilance

पूर्व मध्य रेल
एस.आई.एल.–07 / 2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 10.04.2023

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग कोड के दिशा–निर्देशों के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के संबंध में प्रणाली में सुधार।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 2021 / भी 3 / ईसीआर / इंजी. / 13 दिनांक 12.10.2023.

***

सतर्कता जाँच के एक मामले में यह पाया गया कि भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग कोड के पैरा 703 के दिशा–निर्देशों का पालन किए बिना मंडल द्वारा एक कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध किया जाता है कि भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग कोड के पैरा 703 के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए, विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने के लिए, सभी संबंधितों को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करें। वरीय मंडल इंजीनियर स्तर पर फील्ड जाँच और टेस्ट जाँच को भी मजबूत करने की जरूरत है।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु भेजी जाए।

(सुमन भारती)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / इंजी.
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 07/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated 10-04.2023

Principal Chief Engineer
East Central Railway
Hajipur.

Sub : System improvement regarding Preparation of Detailed Estimate as per guidelines of Indian Railway Engineering Code.

Ref : Rly. Bd's letter No. 2021/V3/ECR/Engg/13 dated 12.10.2022

***

During investigation of a vigilance case, it has been found that detailed estimate of a work was prepared by division without following the guideline of para 703 of Indian Railway Engineering Code.

In view of the above, you are requested to issue a system improvement letter to all concerned reiterating guidelines on detail estimate preparation as per para 703 of Indian Railway Engineering Code. Field check and test check also need to be strengthened at Sr. DEN level.

A copy of instruction issued may please be sent to this office for information and record.

(Suman Bharti)
Dy. Chief Vigilance Officer/Engg.
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–**08 / 2023**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 03.05.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : विभागीय परीक्षाओं का मॉडल उत्तर वेबसाइट पर डालने हेतु प्रणाली सुधार जारी करने के संबंध में।

***

पूर्व मध्य रेल में आयोजित विभागीय परीक्षाओं (LDCE/PR/CG/ Special Quota) के समाप्ति के उपरांत मॉडल उत्तर (Answer key) पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है। इन परीक्षाओं में अनियमितता संबंधित कई शिकायतें सतर्कता विभाग को प्राप्त होती है।

उक्त शिकायतों को रोकने हेतु एवं विभागीय परीक्षाओं में पारदर्शिता बढाने हेतु विभागीय परीक्षाओं का मॉडल उत्तर (Answer key) परीक्षा के समाप्ति के अगले कार्यदिवस को पूर्व मध्य रेल के वेबसाइट पर डाला जा सकता है, जिससे उक्त विभागीय परीक्षाओं में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी बल्कि पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा किये गये शिकायतें से भी काफी हद तक निजात पाया जा सकता है।

उपरोक्त पर वरि0 उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–13 / 2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 28.09.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
एवं
प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर।

विषय :– नियुक्ति / विभागीय, पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा के विडियो रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखने के संबंध में।

***

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में चयन हेतु आयोजित परीक्षा का मोबाईल से विडियो रिकॉर्डिंग करवाया जा रहा था।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले नियुक्ति / पदोन्नति के लिए आयोजित परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों का एवं परीक्षा की पूरी अवधि का विडियो रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। साथ ही पूरी परीक्षा अवधि में कराये गये विडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–09 / 2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 31.05.2023

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : रेल कर्मचारियों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में सुधार।

***

कर्मचारियों के रेफरल से संबंधित मामले की सतर्कता जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एक कर्मचारी बाएं सीने व बॉह में भारीपन एवं बेचैनी के ईलाज हेतु सीएसएसएच, पटना में भर्ती होने के कुछ ही घंटों बाद ही पटना जंक्शन पर सीक मेमो के लिए दर–दर भटक रहा था, यह चिंता का विषय है जो अस्पताल के कामकाज में निम्नलिखित सुधार की ओर इशारा करता है:–

(1) अस्पताल प्रशासन को अस्पताल के इनडोर में रेलवे कर्मचारी के भर्ती होने की सूचना संबंधित विभाग या नियंत्रण अधिकारी को ससमय देने की जिम्मेमदारी उठानी चाहिए। चूंकि ई–ऑफिस पूर्व मध्य रेल में लागू किया जा चुका है, इसलिए भर्ती रोगी को सिक मेमो लाने हेतु बाहर जाने के बजाय ई–ऑफिस के माध्यम से संबंधित नियंत्रण अधिकारी से सिक मेमो की मांग की जा सकती है। नियंत्रण अधिकारी को ई–ऑफिस के माध्यम से जल्द से जल्द अस्पताल प्रशाखा को सिक मेमो भेज देना चाहिए एवं इसके बाद मूल प्रति भी जल्द से जल्द उपलब्ध करा देनी चाहिए जिससे कि रोगी को सिक मेमो और सिक प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध हो सके एवं रोगी को परेशानी मुक्त उपचार मिल सके।

(2) यदि किसी रोगी को आगे के उपचार के लिए कहीं रेफर किया जा रहा हो तो डिस्चार्ज सारांश और रेफरल दस्तावेज देने की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 09/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 31.05.2023

PCMD,
East Central Railway
Hajipur.

Sub : System improvement to ensure proper treatment of Railway Employees.

***

During the course of vigilance investigation of case pertaining toreferral of employees, it was found that one of employee was running post to pillar for sick memo at Patna junction just few hours after getting admitted in CSSH/Patna on the complaint of "heaviness of left chest and left arm feeling uneasy and weighty". This, being a matter of concern, may attract following improvement in hospital working:-

(1) Hospital administration should take the responsibility to inform the concern department or controlling officer about admission of Railway Employee in indoor of hospital. The e-office has already been implemented in entire ECR so the requisition/demand of sick memo may be asked from concern controlling officer through e-office instead of asking admitted patient to go outside and bring sick memo. The controlling officer should also provide the sick memo to hospital as soon as possible through e-office, followed by original copy. So that patient may get hassle free treatment along with sick memo & certificate.

(2) If any person is being referred for further treatment, then procedure of giving discharge summary and referral document should be strictly adhere.

(3) सिक प्रमाण पत्र जारी करते समय रोगी के भर्ती होने के समय व तारीख की कड़ाई से जांच की जानी चाहिए। यदि यात्रा पास जारी करना आवश्यक हो तो इसे रेफरल पत्र और डिस्चार्ज पेपर के साथ ही जारी किया जाना चाहिए।

(4) अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि इनडोर रोगी उचित प्राधिकार के बिना अस्पताल से बाहर न जा सके।

भविष्य में उपरोक्त घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु प्रणाली सुधार सुझाव को सतर्कता के साथ लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में कृत कार्रवाई से जानकारी और रिकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को कृपया अवगत कराई जाए।

(उदयाचल कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

चयन में यह सुनिश्चित करें कि
चयन समिति का गठन ठीक से किया गया है
अर्थात्
समिति में एक ही विभाग के
दो अधिकारी शामिल हैं
जिसके लिए चयन किया गया है और
एक कार्मिक विभाग से है।
सदस्यों में से एक को SC/ST वर्ग से
संबंधित होना चाहिए।

(3) While issuing sick certificate time of admission of patient should be strictly checked along with date, and if it is required to issue travel pass, it should be issued along with refer letter and discharge paper.

(4) Security of hospital should be strengthened so that indoor patient could not go outside while admitted in hospital, without proper authority.

In order to prevent reoccurrence of same in future, the system improvement suggestion may be implemented scrupulously. Action taken in this regard may please be appraised to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

''मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है,
जो बाहर से अतिसुन्दर और
अन्दर से अत्यंत कष्टकारी है;
जो इसमें फँसा
वो पूरी तरह उलझ ही गया।''
– अटल बिहारी वाजपेयी

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–**10 / 2023**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 31.05.2023

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : सीएल का उचित अनुदान सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार।

***

उपस्थिति रजिस्टर के रखरखाव से संबंधित मामले की सतर्कता जाँच के दौरान, यह पाया गया कि कुछ कर्मचारी, जिनका कार्यालय शनिवार को काम करने की एक अवधि के लिए खुला रहता है, वे पूर्ण सीएल के बजाय आधे दिन की सीएल का लाभ उठा रहे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि आकस्मिक अवकाश पर रेलवे बोर्ड के मास्टर परिपत्र संख्या 15 और रेलवे बोर्ड के दिनांक 10.04.1973 के पत्र संख्या ई (जी) 72 एल.ई. 2 / 41 के अनुसार, यदि शनिवार को काम करने की केवल एक अवधि है, तो छुट्टी पूरे दिन के लिए होनी चाहिए।

भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, प्रणाली सुधार पत्र को ईमानदारी से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को कृपया भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 10/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 31.05.2023

PCPO
East Central Railway
Hajipur.

Sub: System improvement to ensure proper grant of CL.

***

During the course of vigilance investigation of case pertaining to maintenance of attendance sheet, it was found that some of officials, whose office is open on Saturday for one period of working, are availing half day CL instead of full CL.

It is pertinent to mention that as per Railway Board's master circular No. 15 on casual leave and Railway Board's letter No. E(G)72 LE2/41 dated 10.04.1973, if there is only one period of working on a Saturday, the leave should be for a full day.

In order to prevent reoccurrence of same in future, the system improvement suggestion may be implemented scrupulously. Action taken in this regard may please be appraised to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–**11 / 2023**

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर. / विज. / प्रणाली सुधार / 50 दिनांक : 14.08.2023

प्रमुख मुख्य यांत्रिक अभियंता
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषयः उचित दस्तावेज और ''बायोमेट्रिक उपस्थिति पद्धति'' की शुरूआत के संबंध में प्रणाली सुधार ।

***

एक मामले की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उचित दस्तावेज यानी सामग्री रसीद रजिस्टर, कार्य वितरण रजिस्टर, तैनात मानव शक्ति का पुलिस सत्यापन, प्राधिकरण कार्ड, आई. कार्ड और उपस्थिति रजिस्टर का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार मानव शक्ति आधारित अनुबंध के निष्पादन में गड़बड़ी हो सकती है।

इसलिए, चल रहे अन्य अनुबंधों में इसी तरह की खामियों की रोकथाम के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मानव शक्ति और संबंधित दस्तावेज की तैनाती की आवश्यकता है, इसलिए सभी मौजूदा संविदा में मानव शक्ति की ''बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली'' की शुरुआत के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जा सकता है।

कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

इस पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक / पूमरे का अनुमोदन प्राप्त है।

(आशुतोष झा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी / विद्युत
पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 11/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 14.08.2023

PCME
East Central Railway
Hajipur.

Sub: System improvement regarding proper documentation and introduction of "Biometric Attendance System" for deployed contractual manpower.

***

During investigation of a case, it is observed that proper documentation i.e. material receipt register, work distribution register, police verification of deployed manpower, authority card, I.cards and attendance register are not being implemented as per contract conditions. In this way, there may be malpractice in Execution of manpower based contract.

It is, therefore, for prevention of similar lapses in other ongoing contracts which require deployment of manpower and related documentation as mentioned above, a system improvement measure regarding introduction of "Biometric Attendance System" for all deployed contractual manpower may be issued.

Action taken in this regard may kindly be intimated to this office at the earliest.

This has approval of SDGM/ECR.

(Ashutosh Jha)
Dy. Chief Vigilance Officer/Elect.
East Central Railway, Hajipur

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.–12/2023

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर – 844101

सं.–ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50 दिनांक : 14.09.2023

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे को अस्वीकार करते समय सकारण आदेश को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार।

***

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से संबंधित मामले की सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि सक्षम डॉक्टर मामले में आपातकालीन स्थिति का निर्णय लेते समय केवल यह लिखते हैं कि 'इस मामले में आपातकाल स्थापित नहीं है।' अस्वीकृति का कारण दावेदार के लिए अज्ञात ही रहता है। अतः गलत मंशा से किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाया जा सकता है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा से संबंधित जे.पी.ओ. दिनांक 10.07.12 के क्रम संख्या 12 के अनुसार, अस्पष्ट, असंगत जानकारी और अपूर्ण डेटा के साथ बिना किसी तारीख के दावों और रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले दावों को सक्षम अधिकारियों के सकारण आदेश के साथ सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित चिकित्सक को स्पष्ट कारण लिखना चाहिए कि मामले में आपातकाल क्यों स्थापित नहीं किया गया है ताकि सक्षम प्राधिकारी संबंधित दावेदार को अन्य जानकारी, यदि कोई हो, के साथ सूचित कर सके।

भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, प्रणाली सुधार सुझाव को ईमानदारी से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को कृपया भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 12/2023

Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50 Dated : 14.09.2023

PCMD

East Central Railway

Hajipur.

Sub : System improvement to ensure proper speaking order while rejecting the medical reimbursement claim.

***

During the course of vigilance investigation of case pertaining to medical reimbursement claim it is noticed that competent doctor while deciding the emergency in the case merely write that "Emergency is not established in this case". Reason of rejection is unknown to the claimant. This act may result in pick and chose in certification of emergency.

As per the Sr. No. 12 para of JPO dated 10.07.12 on medical reimbursement claim, claims with vague, incoherent information & incomplete data with no dates and not complying with Rly Bd's guidelines shall be summarily rejected with competent authorities' clear speaking order.

In view of above facts and to bring transparency in system it is evident that concern doctor should write the clear reason, why the emergency is not established in the case so that competent authority may intimate to concern claimant along with other information, if any.

In order to prevent reoccurrence of same in future, the system improvement suggestion may be implemented scrupulously. Action taken in this regard may please be appraised to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

कविता

भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे

✍ **महादेव कुमार मंडल,** पूर्व मुसतानि/भंडार/पूमरे

है भ्रष्टाचार वह मारक पाश
आगे बढ़ने में बाधक खास
जनमानस होते हैं प्रभावित
और रुक जाती है विकास
बहुत सहे खामियाजे हमने, अब नहीं सहेंगे
भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे

क्या कुछ नहीं, पड़ता है सहना
जीते जी भी पड़ता है मरना
भ्रष्टाचार के आगे विवश होकर
पड़ता भ्रष्टाचारी के आगे झुकना
जुल्मों सितम के आगे, अब हम नहीं झुकेंगे
भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे

हाँ बदल रहें हैं अब हालात
भ्रष्टाचारी जाते हवालात
माना कि लम्बी थी यह रात
छँट रहे तिमिर हुई शुरुआत
ठाना हमने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की हम ओर बढ़ेंगे
भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे

प्रणाली सुधार से किये समाधान
खूब चलाये जागरूकता अभियान
चेक–ट्रैप और निरन्तर अनुसंधान
सतर्कता का रहा विशेष योगदान
यूँही सतर्कता के संग नये कीर्तिमान गढ़ेंगे
भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे

कितनी भी लम्बी अंधेरी रात
होती अंत और मिलती निजात
सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से
सफलता की मिलती सौगात
सत्यनिष्ठ की बयार बही है, सभी संग संग बहेंगे
भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे

सतर्कता का समझो इशारा
चलो चले सत्यनिष्ठा की धारा
है अब तो बस संकल्प हमारा
जन जन का बस यही है नारा
देव के संग एक बार नहीं हर बार कहेंगे
भ्रष्टाचार को ना कहेंगे, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

*

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :–

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।

स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।

Disclaimer

This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for offcial use only. It should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, wherever necessary should always be made to the original orders on the subjects.

सतर्कता संगठन

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

पारदर्शिता हेतु सतत् प्रयासरत एवं कटिबद्ध